प्रथम वार्षिक रिपोर्ट

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

2020-2021

सीआईएन नं. : यू 65990डीएल2020जीओआई1368828

अध्यक्ष	**श्री विजयेन्द्र (23 सितंबर, 2021 तक)** **सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (23 सितंबर, 2021 से)**
निदेशक	• श्री राजीव कुमार सेन, सरकार द्वारा नामित निदेशक • श्री अतीश कुमार सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक • श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक
कंपनी सचिव	श्रीमती निष्ठा गोयल
सांविधिक लेखापरीक्षक	मैसर्स देविन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएटस
मुख्य बैंकर	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजीकृत कार्यालय	एनएसआईसी भवन ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110 020

निदेशक मंडल

श्री विजयेन्द्र
अध्यक्ष
(23 सितंबर, 2021 तक)

श्रीमती अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
(23 सितंबर, 2021 से)

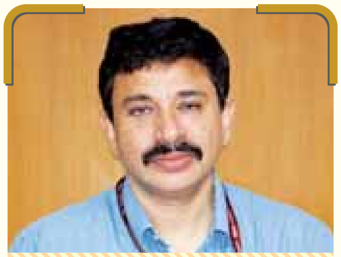

श्री राजीव कुमार सेन
सरकारी नामित निदेशक

श्री अतीश कुमार सिंह
सरकारी नामित निदेशक

श्री गौरांग दीक्षित
निदेशक

बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ बोर्ड की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

1. कॉर्पोरेट जानकारी

एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के दिशानिर्देशों को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसआईसी से 100 प्रतिशत इक्विटी वाले एसपीवी द्वारा मूल निधि को अनुबंधित किया जाएगा।

तदनुसार, एसआरआई फंड अनुबंधित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 28 अगस्त, 2020 को एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अर्थात, एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड एनवीसीएफएल की पहली स्कीम है।

एसआरआई फंड एक श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष है जो सेबी और मदर फंड/ डाटर फंड संरचना के साथ पंजीकृत है। मदर फंड में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपये के प्रारंभिक बजटीय समर्थन के साथ भारत सरकार एक मात्र अनुबंधित निवेशक है। डाटर फंड के माध्यम से इसमें 50,000 करोड़ रुपये तक की बृद्धि होगी। एसआरआई फंड का उद्देश्य है एमएसएमई को डाटर फंड के माध्यम से, इक्विटी या अर्ध–इक्विटी के रूप में विकास पूंजी के रूप में, एमएसएमई को दिए जाने वाले इक्विटी/ इक्विटी जैसे वित्तपोषण में बृद्धि, स्टॉक एक्सचेंजों पर एमएसएमई की लिस्टिंग और एमएसएमई व्यवसायों के तीव्र विकास का समर्थन करने के लिए फंडिंग सहायता प्रदान करना और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

सुश्री बी.बी स्वैन, सचिव एमएसएमई मंत्रालय, की गरिमामयी उपस्थित में एसआरआई फंड, जो एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड की पहली स्कीम है, के प्राइवेट प्लैस मेमोरंडम (पीपीएम) की एक प्रति सुश्री ईशिता जी. त्रिपाठी, अपर विकास आयुक्त, एमएसएमई को सौपतें हुए सुश्री अलका अरोड़ा, अध्यक्ष एनवीसीएफएल। इस अवसर पर श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक, एनवीसीएफएल और श्री के. एम. त्रिवेदी भी उपस्थित थे।

2. वित्तीय प्रबंधन/संचालन का अवलोकन

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी लिमिटेड) की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त, 2020 को इसे निगमित किया गया है।

एनवीसीएफएल ने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में आवेदन किया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद 1 सितंबर 2021 दिनांकित प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसलिए, कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां 31 मार्च, 2021 से शुरू नहीं की जा सकीं। कंपनी अपनी आरंभिक अवस्था में है जिसमें लाभ और हानि खाते का प्रमुख हिस्सा खर्च से तैयार होता है। तदनुसार, कर के पश्चात हानि 61.10 लाख रु. है। चूंकि यह कंपनी के अस्तित्व का पहला वर्ष है, वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नहीं बताए गए हैं।

वित्तीय परिणाम का स्नैपशॉट नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

(रु. लाख में)

क्र. सं.	विवरण	2020–21
1.	प्रचालनों से राजस्व	0.00
2.	अन्य आय	11.06
3.	व्यय	69.38
4.	कर पूर्व लाभ/(हानि)	(58.32)
5.	कर व्यय	2.78
6.	कर के बाद लाभ / (हानि)	(61.10)
7.	निवल मूल्य	538.90
8.	प्रति शेयर आय (रु.)	(10.18)

3. लाभांश

घाटे के कारण, चालू वर्ष के दौरान कंपनी किसी लाभांश का प्रस्ताव नहीं करती है।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (जे) के संदर्भ में रिजर्व में स्थानांतरण

चूंकि, कंपनी को 61.10 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई है।

5. तुलन पत्र की तारीख और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बीच हुए भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

तुलन पत्र की तारीख और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई महत्वपूर्ण भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

6. जमा

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत आने वाले नियमों के साथ पठित किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

7. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत कंपनी द्वारा कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए उक्त प्रावधान लागू नहीं है। इसके अलावा, कंपनी द्वारा कोई गारंटी और निवेश नहीं किया गया था।

8. शेयर पूंजी

कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 करोड़ रुपये है और कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी 6 करोड़ रुपये है जिसे प्रति एक 100/–रू. के 6,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है और संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है।

9. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण पर एक अलग रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

10. मानव संसाधन प्रबंधन

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी अर्थात एनएसआईसी लिमिटेड ने परिचालन सुविधा और कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर अपने कुछ कर्मचारियों

को तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं।

कंपनी ने निदेशकों या प्रबंधन या उनके संबंधियों या कंपनियों और फर्मों आदि के साथ किसी भी सामग्री, वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन नहीं किया है, जिसमें वे सीधे या अपने संबंधियों के माध्यम से निदेशक और/या भागीदार के रूप में हिताबद्ध हैं। हालांकि, आपकी कंपनी अपनी उस होल्डिंग कंपनी से प्राप्त असाइनमेंट को निष्पादित कर रही है, जिसमें आपकी कंपनी के निदेशक/अधिकारी, निदेशक/वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में काम कर रहे हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं।

11. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के तहत निर्धारित सीमा से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं कर रहा था।

12. प्रबंधकीय पारिश्रमिक

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार कंपनी के निदेशकों को कोई प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो प्रति वर्ष 60 लाख से अधिक, प्रति माह 5 लाख से अधिक का पारिश्रमि प्राप्त कर रहा हो।

13. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी, अवशोषण, और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

आपकी कंपनी में कोई निर्माण गतिविधि नहीं होती है, इसलिए ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी और अवशोषण पर कोई खर्च नहीं होता है। इसके अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा का आय और व्यय नहीं किया है।

14. संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों और व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ व्यवस्थाएं/लेन–देन सामान्य और व्यावहारिक आधार पर थे।

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एओसी–2 में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188(1) में संदर्भित संबंधित पार्टी लेनदेन और अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. लेखा परीक्षक

(क) सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने मेसर्स देविंदर के. जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और आवश्यक अनुलग्नक के साथ–साथ लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी, अवलोकन या आपत्ति नहीं की गई है।

(ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) ने अधिनियम की धारा 143 (6) के तहत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है। टिप्पणियों की एक प्रति इस वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

16. वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिए फॉर्म एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

17. समेकित अंशदान समझौते पर हस्ताक्षर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनवीसीएफएल और एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड, निवेश प्रबंधक के बीच 12 अक्टूबर, 2021 को समेकित योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे ।

18. निदेशक मंडल

कंपनी संघ अनुच्छेद के अंतर्नियम की अनुच्छेद 81 के अनुसार,

श्री नारायण राणे, माननीय एमएसएमई मंत्री, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, माननीय राज्य मंत्री (एमएसएमई) के मार्गदर्शन में और श्री बी.बी. स्वैन, सचिव एमएसएमई और सुश्री अलका अरोड़ा, अध्यक्ष एनवीसीएफएल की उपस्थिति में आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के अंशदान करार पर एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड और एसबीआई कैपीटल वेंचर लिमिटेड, निवेश प्रबंधक द्वारा 12 अक्टूबर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए।

कंपनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम और 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। निम्नलिखित को कंपनी के पहले निदेशक के रूप में शामिल करके 28 अगस्त, 2020 एनवीसीएफएल को निगमित किया गया था:

31 मार्च, 2021 को बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे:

क्र. सं.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	निदेशक* का नाम	पद
1	03625565	श्री विजयेंद्र*	अध्यक्ष
2	07669981	श्री राजीब कुमार सेन**	निदेशक
3	06789077	श्री अतीश कुमार सिंह**	निदेशक
4	08535482	श्री गौरांग दीक्षित***	निदेशक

* सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत निधि दिशानिर्देशों के संदर्भ में, एनवीसीएफएल का अपना एक स्वतंत्र बोर्ड होगा जिसमें अध्यक्ष एवं मुख्य प्रबंध निदेशक एनएसआईसी इसके अध्यक्ष, दो सरकारी नामित निदेशक, एक एनएसआईसी नामित निदेशक और एक पेशेवर सीईओ होंगे। तदनुसार, श्री विजयेंद्र को कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसके बाद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के दिनांक 14 सितंबर, 2021 के पत्र सं के– 01/11/2021–एसएमई द्वारा दिनांक 14 सितंबर, 2021 को श्री विजयेंद्र को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद से पदमुक्त कर दिया गया है और 14 सितम्बर, 2021 से तीन महीने की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो तक सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को एनएसआईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। इसलिए, वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा कंपनी की पदेन अध्यक्ष हैं।

** श्री राजीब कुमार सेन और श्री अतीश कुमार सिंह को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल में सरकारी नामित निदेशकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

*** श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी लिमिटेड को कंपनी में निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

इसके बाद, एनएसआईसी लिमिटेड (एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी) ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2021 को अपने आदेश द्वारा यह फैसला किया है कि जब तक कि नियमित पदधारी ड्यूटी पर रिपोर्ट न करे श्री गौरांग दीक्षित, निदेशक (वित्त), एनएसआईसी, अपने मौजूदा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के अलावा एनवीसीएफएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, का अतिरिक्त कार्यभार सम्हालेंगे।

सभी निदेशक कंपनी से किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वे होल्डिंग कंपनी में अपने पदेन पदों के अनुसार निदेशक का पद धारण कर रहे हैं और/या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा नामित हैं।

19. बोर्ड की बैठकों की संख्या, बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

कंपनी को 28 अगस्त, 2021 को निगमित किया गया था, इसलिए, वित्त वर्ष 2020–2021 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की दो (2) बैठकें अर्थात (i) 4 सितंबर, 2020 और (ii) 31 दिसम्बर, 2020 को आयोजित की गई।

बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति और निदेशकों द्वारा धारण किए गए अन्य निदेशकीय पदों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बोर्ड की बैठकें			31 मार्च, 2021 को (एनवीसीएफएल के अलावा) धारण किए गए अन्य निदेशकीय पदों की संख्या
		इस अवधि में आयोजित	उपस्थित हुए	उपस्थिति का प्रतिशत	
1.	श्री विजयेंद्र, अध्यक्ष	2	2	100	1
2.	श्री राजीब कुमार सेन, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2	100	1
3.	श्री अतीश कुमार सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक	2	2	100	0
4.	श्री गौरांग दीक्षित निदेशक	2	2	100	1

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

20. वर्ष के दौरान निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

21. निदेशकों द्वारा उत्तरदायित्व का वचन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(सी) की अपेक्षा के अनुसार, निदेशक पुष्टि करते हैं कि:

- वर्ष 2020–2021 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में , सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ अनुकूल लेखा मानकों का पालन किया गया है;
- ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया गया है और उन्हें निरंतर अपनाया गया है और ऐसे निर्णय लिए गए और आकलन तैयार किए गए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी अपनाई है;
- वित्तीय विवरण लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है;
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ये प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई) के अंतर्गत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

23. नियामकों / न्यायालयों / न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और विशेष आदेश

कंपनी के खिलाफ नियामकों/अदालत/न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और विशेष आदेश पारित नहीं किया गया है।

24. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

चूंकि यह कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी मानदंड के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ("सीएसआर") समिति का गठन करने की आवश्यकता नहीं है।

25. आभार

आपके निदेशक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के आभारी हैं कि उन्होंने एक सहायक कंपनी को शामिल करने और एनवीसीएफएल की पहली योजना के रूप में एसआरआई फंड लॉन्च करने का विश्वास जताया। निदेशक एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी), नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मैसर्स देविंदर के. जैन एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सांविधिक लेखा परीक्षकों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के सभी हितधारकों को कंपनी के स्थायी प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में उनके बहुमूल्य योगदान और प्रयासों के लिए ईमानदारी से सराहना और धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मंडल की ओर से और के लिए

ह./–

(अलका नांगिया अरोड़ा)

अध्यक्ष

डीआईएन सं. : 03165567

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 22 नवंबर, 2021

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी के कार्य–निष्पादन सहित "प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" की रिपोर्ट इस प्रकार है:

I. उद्योग संरचना और विकास

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, पिछले 3 वर्षों (2017–2019) में, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की औसत गति 6.7 प्रतिशत प्रति वर्ष हासिल की है, जो कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे तेज गति है। कोविड–19 महामारी से पहले, यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत का विकास लंबे समय तक जारी रहेगा जिससे भारत एक पसंदीदा निवेश स्थल बन जाएगा। हालाँकि, महामारी ने भारत सहित सभी अर्थव्यवस्थाओं में समग्र विकास को बाधित कर दिया है। अप्रैल 2020 में प्रकाशित "भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड –19 के संभावित प्रभाव" शीर्षक वाली केपीएमजी रिपोर्ट के अनुसार, जिन क्षेत्रों के अल्प से मध्यम अवधि में गंभीर रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उनमें विमानन और पर्यटन, तेल और गैस, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), भवन और निर्माण और परिवहन और रसद शामिल हैं, जबकि जिन क्षेत्रों में मध्यम रूप से प्रभावित होने की संभावना है, उनमें धातु और खनन, वित्तीय सेवाएं, ऑटो और ऑटो पार्ट्स, शिक्षा और कौशल शामिल हैं।

कोविड–19 के प्रसार को सीमित करने के लिए, भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने चरणबद्ध लॉकडाउन / प्रतिबंध लगाए थे। इन लॉकडाउन से राजस्व में कमी, आपूर्ति श्रृंखला में देरी, जनशक्ति आदि की कमी के कारण व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। मैकिन्से के एक अध्ययन के अनुसार, यदि भारत सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता उपायों की घोषणा नहीं की जाती है, तो 25 प्रतिशत एमएसएमई ऋण, 6 प्रतिशत कॉर्पोरेट ऋण (मुख्य रूप से विमानन, कपड़ा, बिजली और निर्माण में) और 3 प्रतिशत खुदरा ऋण(स्व–रोजगार और छोटे व्यवसायों के लिए व्यक्तिगत ऋण) तो) डिफ़ॉल्ट हो सकता है। सॉल्वेंसी जोखिम से बचने और व्यवसायों का समर्थन करने के लिए, भारत के केंद्रीय बैंक – भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 12.7 ट्रिलियन रु. के पैकेज की घोषणा की जिसमें सभी बकाया सावधि ऋणों और आसान कार्यशील पूंजी वित्तपोषण मानदंडों के लिए दरों में कटौती, नकद आरक्षित अनुपात में कमी, 3(तीन) महीने (इसके बाद 6(छह) महीने तक विस्तारित) अधिस्थगन शामिल हैं। । इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कृषक समुदाय, एमएसएमई कंपनियों आदि को लक्ष्य बना कर भारत सरकार ने 17.2 ट्रिलियन रुपये के अतिरिक्त पैकेज की भी घोषणा की है।

कोविड–19 की स्थिति से अल्पावधि में भारत के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, अनुकूल जनसांख्यिकी, उच्च बचत और निवेश दरों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के माध्यम से मजबूत अंतर्वाह द्वारा समर्थित स्वस्थ घरेलू खपत होने के कारण मध्यम और लंबी अवधि में भारत के विकास के प्रति दृष्टिकोण उत्साहित और सकारात्मक होने की उम्मीद है।

II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम ("एमएसएमई") सेक्टर का महत्व

एमएसएमई सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और राष्ट्र के विकास, निर्यात का लाभ उठाने, रोजगार के विशाल अवसर पैदा करने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 63.38 मिलियन उद्यमों के विशाल नेटवर्क के साथ एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था का विकास इंजन रहा है। 2025 तक यूएसडी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। यह क्षेत्र लगभग 111 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हुए विनिर्माण उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत, निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक, सकल घरेलू उत्पाद में 28 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जो कि मात्रा के मामले में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है। उद्यमों के आकार और उत्पादों तथा सेवाओं की विविधता, और नियोजित प्रौद्योगिकी के स्तर के मामले में भारत में एमएसएमई क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण है। तथापि, इस क्षेत्र में तेज गति से बढ़ने की क्षमता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए, हाल की राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में 2022 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्तमान में 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है। इस क्षेत्र द्वारा शेष अर्थव्यवस्था को प्रदान किए जाने वाले लाभों की व्यापकता का संज्ञान लेते हुए, सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद के 50

प्रतिशत निर्यात के 60 प्रतिशत में अपने योगदान को बढ़ाने और 50 मिलियन और अधिक लोगों को रोजगार देने की कल्पना की है।

III. प्रचालन और वित्त संबंधी कार्य–निष्पादन

एनवीसीएफएल ने सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) में आवेदन किया था, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद 1 सितंबर, 2021 दिनांकित प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है।

इसलिए, 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों को शुरु नहीं किया जा सका। कंपनी अपने आरंभिक चरण में है, जहां लाभ और हानि खाते व्यय का प्रमुख हिस्सा हैं। तदनुसार, कर पश्चात हानि रु. 61.10 लाख रुपये है। चूंकि यह कंपनी के अस्तित्व का पहला वर्ष है, वित्तीय विवरणों में पिछली अवधि के तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिए गए हैं।

IV. जोखिम, चिंताएं और खतरे

डाटर फंड में निवेश किया जाएगा जिसे केवल एमएसएमई क्षेत्र में निवेश किया जाएगा। उद्यम पूंजी खंड वित्तीय और परिचालन दोनों तरह के जोखिमों से भरा है। विशेष रूप से, यह उल्लेख करना उचित होगा कि डाटर फंड के निवेश में विविधीकरण की कमी हो सकती है जिससे ऐसी डाटर फंड को उनके फोकस क्षेत्र से संबंधित जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि फंड के निवेश अर्थात डाटर फंड में निवेश, अथवा पोर्टफोलियो कंपनियों में डाटर फंड के निवेश के लिए के लिए आसानी से बाजार उपलब्ध नहीं हो सकता है। डाटर फंड के निवेश और फंड के निवेश के लिए एक स्थापित, लिक्विड सेकेंडरी मार्केट की कमी से उनके बाजार मूल्य और उनके निपटान हेतु फंड की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र बड़े पैमाने पर उद्योग के मानकों जैसे समग्र मांग–आपूर्ति परिदृश्य, प्रवेश बाधाओं और प्रतिस्पर्धा का स्तर, विकल्प और तकनीकी प्रवृत्तियों की उपलब्धता, क्षेत्र को सरकारी सहायता और उद्योग की चक्रीयता और मौसम–तत्व पर निर्भर है। इसके अलावा, भारत में प्रतिभूतियों में निजी इक्विटी निवेश करने के लिए फंड का कोई परिचालन इतिहास नहीं है। निवेश प्रबंधक द्वारा अनुमोदित पोर्टफोलियो निवेश बनाने के लिए यह हाल ही में इसका गठन किया गया है। डाटर फंड में निवेश के लिए अन्य निवेशकों (फंड ऑफ फंड सहित) के सहयोग से यह निधि पूर्ण होगी। इससे निवेश के अवसर कम आकर्षक हो सकते हैं।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में हाल की घटनाऐं (विशेष रूप से कोविड –19 के कारण) संरचित ऋण, लीवरेज्ड ऋण और उच्च–लाभ वाले बॉन्ड बाजारों में महत्वपूर्ण अव्यवस्थाओं, नकदी और अस्थिरता का कारण रहीं हैं।

V. अवसर

भारत में लक्षित विकास दर हासिल करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र बहुत आवश्यक है। एमएसएमई की वृद्धि और विकास सही समय पर पूंजी तक पहुंच से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई कोविड–19 महामारी से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। उनके सीमित वित्तीय संसाधनों और उधार लेने की क्षमता के कारण यह विघटनकारी प्रभाव जटिल हो गया है। महामारी से उत्पन्न इस अभूतपूर्व संकट के बीच भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र का समर्थन करने के लिए विधायी, नियामक और वित्तीय उपायों की शुरुआत की है। सरकार की पहल के साथ, एसआरआई फंड योजना इस कम्पनी की पहली योजना होगी। भारत सरकार मुख्य निधि में चरणबद्ध तरीके से 10,000 करोड़ रुपये की आरंभिक बजटीय सहायता के साथ एकमात्र मुख्य निवेशक है। इससे डाटर फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये तक की बृद्धि। इससे एमएसएमई के एक बड़े क्षेत्र को लाभ होगा जिससे एमएसएमई व्यवसायों के तेजी से विकास में सहयोग मिलेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

VI. दृष्टिकोण

एनवीसीएफएल को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया है और सेबी के साथ पंजीकृत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि एनवीसीएफएल की पहली योजना है, जिसके अंतर्गत पैनल में शामिल उन डाटर फंड को फंड मुहैया कराया जाएगा, जिनमें एमएसएमई की सीमा से बाहर जा कर अपनी पहचान बनाने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने और एमएसएमई का सहयोग करने की क्षमता है, और जो बदले में प्रासंगिक तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एमएसएमई को सहयोग प्रदान करेंगी।

VII. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2020–2021 के दौरान किसी स्थायी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की है। हालांकि,

परिचालन सुविधा और कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों के प्रबंधन के लिए होल्डिंग कंपनी अर्थात एनएसआईसी लिमिटेड ने अपने कुछ कर्मचारियों को अंशकालिक/पूर्णकालिक आधार पर तैनात किया है, जो पेशेवर हैं और वित्तीय विशेषज्ञता रखते हैं। कंपनी ने प्रमुख कंसल्टेंसी और पेशेवर फर्मों को भी नियुक्त किया है। कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण हैं।

VIII. चेतावनी वक्तव्य

"प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण" की रिपोर्ट में विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम रिपोर्ट में उल्लिखित विवरण से भिन्न हो सकते हैं जो सरकार के नीतिगत निर्णयों और भविष्य के आर्थिक वातावरण से भी प्रभावित हो सकते हैं।

फॉर्म - एओसी-2
वार्षिक अनुपालन - संबंधित पार्टी से लेनदेन

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण विस्तृत आधार पर नहीं हैः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान कंपनी द्वारा किसी भी संबंधित पार्टी के साथ कोई महत्वपूर्ण अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था।

2. वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान विस्तृत आधार पर महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरणः वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरानः

क्र. सं.	संबंधित पार्टियों के नाम (के नाम) और संबंध का स्वरूप	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेनों का स्वरूप	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि	मूल्य सहित, अनुबंध या व्यवस्थाओं या लेनदेनों, यदि कोई हों, की विशेष शर्तें	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई होः	अग्रिम भुगतान की गई राशि, यदि कोई होः
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	एनवीसीएफएल की ओर से होल्डिंग कंपनी द्वारा किए गए जनशक्ति समर्थन लागत, मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन व्यय की प्रतिपूर्ति। (करों को छोड़कर)	चल रहा लेनदेन	जनशक्ति समर्थन लागत– रु. 15.94 लाख प्रिंटिंग और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और मनोरंजन– रु. 0.82 लाख (सभी राशियां वास्तविक आधार पर)	–	–
2.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	एनएसआईसी को भुगतान किया गया किराया (करों को छोड़कर)	11 महीने के लिए समझौता	किराया रु. 0.07 लाख (अर्थात 1000/– प्रति माह प्लस टैक्स)	–	–
3.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	कंपनी निगमन पर भुगतान किए गए विज्ञापन और प्रचार और कर्तव्यों और करों की प्रतिपूर्ति (करों को छोड़कर)	एकमुश्त लेन–देन	विज्ञापन और प्रचार– रु. 13.67 लाख कंपनी निगमन पर भुगतान किए गए शुल्क और कर 10.83 लाख रू. हैं। (सभी राशियां वास्तविक आधार पर)		

फार्म सं. एमजीटी–9

वार्षिक विवरणी का सार

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे :

1.	सीआईएन	यू65990डीएल2020जीओआई368828
2.	पंजीकरण की तारीख	28 अगस्त, 2020
3.	कंपनी का नाम	एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	शेयर/संघ सरकारी कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क संबंधी ब्योरा	एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली–110020 फोन न.: 011–26926275, 26926370
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	नहीं
7.	रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट, का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई है,	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यवसाय क्रियाकलाप

एनसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड को 28 अगस्त, 2020 को शामिल किया गया था और उसने सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–।। वैकल्पिक फंड निवेश के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, जो 31 मार्च, 2021 तक प्रतीक्षित था, इसलिए व्यावसायिक गतिविधियां 31 मार्च, 2021 तक शुरू नहीं हो सकी। हालांकि कंपनी को इसका रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट सेबी से 1 सितंबर, 2021 को मिला था।

III. धारिता, सहायक और संबद्ध कंपनियों का विवरण 31 मार्च, 2021 तक

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	धारिता/ सहायक/संबद्ध	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू होने वाली धारा
1.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नई दिल्ली–110020	यू74140डीएल1955जीओआई002481	धारण कंपनी	100 प्रतिशत	2(46)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का विवरण)

i) श्रेणी–वार शेयरधारिता:

शेयरधारकों की श्रेणी	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति)		वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति)		वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की कुल संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रमोटर्स					
(1) भारतीय					
(क) व्यक्ति/ अविभक्त हिंदू परिवार	....	....	....	....	....
(ख) केंद्र सरकार	....	....	....	....	....
(ग) राज्य सरकार (सरकारें)	....	....	....	....	....
(घ) निगमित निकाय	600000	100%	600000	100%	....
(ङ) बैंक/वित्तीय संस्था	....	....	....	....	....
(च) कोई अन्य	....	....	....	....	....
उप–जोड़ (क) (1)	600000	100%	600000	100%	....
(2) विदेशी					....
(क) अनिवासी भारतीय – व्यक्ति	....	....	....	....	....
(ख) अन्य – व्ययक्ति	....	....	....	....	....
(ग) निगमित निकाय	....	....	....	....	....
(घ) बैंक/वित्तीय संस्था	....	....	....	....	....
(ड़) कोई अन्य	....	....	....	....	....
उप–जोड़ (क) (2)	....	....	....	....	....
प्रोमोटर्स की शेयरधारिता का जोड़ (क)= (क)(1)+(क)(2)	**600000**	**100%**	**600000**	**100%**	**....**
(ख) पब्लिक शेयरधारिता					
1. संस्थाएं	....	....	....	....	....
क. म्यूचुअल फंड	....	....	....	....	....
ख. बैंक/वित्तीय संस्थाएं	....	....	....	....	....
ग. केंद्रीय सरकार	....	....	....	....	....
घ. राज्य सरकार(सरकारें)	....	....	....	....	....
च. उद्यम पूंजी निधियां	....	....	....	....	....
छ. बीमा कंपनियां	....	....	....	....	....
ज. विदेशी संस्थागत निवेशक	....	....	....	....	....
झ. विदेशी उद्यम पूंजी निधियां	....	....	....	....	....
ज. अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	....	....	....	....	....
उप–जोड़ (ख)(1)	**....**	**....**	**....**	**....**	**....**

शेयरधारकों की श्रेणी	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति)		वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2021 को यथास्थिति)		वर्ष के दौरान परिवर्तन का प्रतिशत
	शेयरों की कुल संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की कुल संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
2. गैर–संस्थाएं					
(क) निगमित निकाय	....	....	....	....	....
(i) भारतीय	....	....	....	....	....
(ii) विदेशी	....	....	....	....	....
(ख) व्यक्ति	....	....	....	....	....
i) 1 लाख रुपए तक सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	....	....	....	....	....
ii) 1 लाख रुपए से अधिक की सामान्य शेयर पूंजी धारण करने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	....	....	....	....	....
क) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	....	....	....	....	....
उप–जोड़ (ख)(2):–	....	....	....	....	....
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+(ख)(2)	....	....	....	....	....
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षकों द्वारा धारित शेयर	....	....	....	....	....
कुल जोड़ (क+ख+ग)	600000	100%	600000	100%	

नोटः एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड की संपूर्ण पेड–अप शेयर कैपीटल राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (अधिकृत कंपनी) और छह नामांकित व्यक्तियों के पास है।

ii) प्रमोटरों की शेयरधारिताः

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का %	
1	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	599994	99.99%	....	599994	99.99%	....	....
2	श्री विजयेन्द्र *	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....
3	श्री पी. उदयकुमार *	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....
4	श्री गौरांग दीक्षित *	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2020 को यथास्थिति)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन का प्रतिशत
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों में से प्रति गिरवी रखे गए/ विलंगमित शेयरों का %	
5	श्री नवीन चौपड़ा *	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....
6	श्री पी. डे. मुख्य महाप्रबंधक (आईटी)*	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....
7	श्री एम.पी. सिंह *	1	नगण्य	....	1	नगण्य	....	....
	जोड़	**600000**	**100**		**600000**	**100**	**....**	**....**

* राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के नामांकित व्यक्ति के रूप में यानि अधिकारिक कंपनी।

iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र. सं.	विवरण	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति)		वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	समीक्षा के तहत अवधि के दौरान कोई बदलाव नहीं।			
2	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/ कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				

iv) शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्नः
(निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर तथा एडीआर के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	प्रत्येक शीर्षस्थ 10 शेयरधारकों के लिए	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति)		वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	वर्ष के आरंभ में	शून्य, यह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।			
2	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरधारिता में तारीख–वार वृद्धि/ कमी, जिसमें वृद्धि/कमी के कारण दर्शाए गए हों (अर्थात आबंटन/अंतरण/बोनस/ स्वीट इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				

v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता (केएमपी):

क्र. सं.	निदेशक/केएमपी का नाम	कंपनी के समावेश के समय धारित शेयरों की संख्या (28 अगस्त, 2021 को यथास्थिति)		वर्ष के अंत तक यानि 31 मार्च 2021 तक संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1.	**वर्ष के आरंभ में**				
	श्री विजयेन्द्र,	1	नगण्य	1	नगण्य
	श्री गौरांग दीक्षित	1	नगण्य	1	नगण्य
2.	**शेयरधारिता में परिवर्तन**	शून्य			
3.	**वर्ष के अंत में**				
	श्री विजयेन्द्र,	1	नगण्य	1	नगण्य
	श्री गौरांग दीक्षित	1	नगण्य	1	नगण्य

VI. ऋणग्रस्तता – बकाया/उपचित, परंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता, लेकिन जो भुगतान के लिए देय नहीं है।

.(करोड़ रू.)

	जमा धनराशियों को छोड़कर, प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा धनराशियां	कुल ऋणग्रस्तता
वित्त वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	....	....	....	....
ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	....	....	....	....
iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज	....	....	....	....
जोड़ (i+ii+iii)	....	....	....	....
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	....	....	....	....
* कमी	....	....	....	....
निवल परिवर्तन	....	....	....	....
वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	....	....	....	....
ii) देय, परंतु भुगतान न किया गया ब्याज	....	....	....	....
iii) उपचित, परंतु अदेय ब्याज	....	....	....	....
जोड़ (i+ii+iii)	....	....	....	....

VII. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक –

(क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और प्रबंध का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक के विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल रकम
		श्री विजयेन्द्र (गैर–कार्यकारी निदेशक)	श्री गौरांग दीक्षित (गैर–कार्यकारी निदेशक)	
1	सकल वेतन	....	....	....
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन	....	....	....
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	....	....	....
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	....	....	....
2	स्टॉक विकल्प	....	....	....
3	स्वीट इक्विटी	....	....	....
4	कमीशन – लाभ के प्रतिशत के रूप में – अन्य, कृपया उल्लेख करें	....	....	....
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान)	....	....	....
	जोड़ (क)	**....**	**....**	**....**

ख) अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल रकम
1	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	....	....	....	....
	कमीशन	....	....	....	....
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	....	....	....	....
	जोड़ (1)	....	....	....	....
2	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	....	....	....	....
	बोर्ड की समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	....	....	....	....
	कमीशन	....	....	....	....
	अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें	....	....	....	....
	जोड़ (2)	....	....	....	....
	जोड़ (ख)= (1+2)	....	....	....	....

ग) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीएफओ	सीएफओ	सीएस	जोड़
1	सकल वेतन	....	....	....	....
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए उपबंधों के अनुसार वेतन	....	....	....	....
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य	....	....	....	....
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के वेतन के बदले लाभ	....	....	....	....
2	स्टॉक विकल्प	....	....	....	....
3	स्वीट इक्विटी	....	....	....	....
4	कमीशन	....	....	....	....
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में	....	....	....	....
	– अन्य, कृपया उल्लेख करें	....	....	....	....
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें (भविष्य निधि एवं पेंशन में नियोक्ता का अंशदान)	....	....	....	....
	जोड़	....	....	....	....

नोटः एनवीसीएफएल निदेशक इसके बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशक हैं और वे कंपनी से मासिक या वार्षिक आधार पर कोई पारिश्रमिक नहीं ले रहे हैं।

VIII. शास्तियां/दंड/अपराधों का संयोजन

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति/दंड/ लगाए गए संयोजन शुल्क के ब्यौरे	प्राधिकारी (आरडी) / एनसीएलटी /न्यायालय	अपील, यदि की गई है (ब्योरे दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड			कोई नहीं		
संयोजन					
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड			कोई नहीं		
संयोजन					
ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी					
शास्ति					
दंड			कोई नहीं		
संयोजन					

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

के सदस्यों

एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड

वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने, **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** (कंपनी) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त लाभ एवं हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियों सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और ऐसी अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त अकेले वित्तीय विवरण, यथा अपेक्षित तरीके से, कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) द्वारा अपेक्षित सूचना देते हैं और 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति निगम के कारोबार की, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय, सहित इसकी हानियों इक्विटी में परिवर्तन तथा इसके नकदी प्रवाह की, भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकंन मानकों के अनुरूप सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अनुसार अकेले वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिपोर्ट के अकेले वित्तीय विवरण भाग की 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' वर्णित हैं। हम, नैतिकता अपेक्षाओं, जो अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा से सुसंगत हैं, के साथ–साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी की गई नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन अपेक्षाओं और नैतिकता संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है, वह हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

मामलों पर जोर देना

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 1(बी)(II) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें यह कारण स्पष्ट किए गए हैं कि अधिनियम की अनुसूची III के प्रभाग II के बजाय अधिनियम की अनुसूची III के प्रभाग III में विनिर्धारित का इस्तेमाल करते हुए वित्तीय विवरण क्यों तैयार किए गए हैं।

हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणी–24 की और भी ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कोविड–19 महामारी की स्थिति से संबंधित स्थितियों के कारण वित्तीय प्रभाव के प्रबंधन के आंकलन और अनिश्चितिताएं स्पष्ट की गई हैं जिसके लिए उत्तरवर्तीय अवधि के प्रभाव के निश्चित आंकलन उन परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर हैं जब वे उत्पन्न होती हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय सीमित नहीं है।

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा सूचना

अन्य सूचना तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य सूचना में, बोर्ड रिपोर्ट के अनुबंधों सहित बोर्ड रिपोर्ट में शामिल की गई सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं की गई है और हम उस पर किसी भी रूप में कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी, ऊपर पहचान की गई अन्य सूचना को पढ़ना है, और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या अन्य सूचना एकल अकेले वित्तीय विवरणों के या लेखापरीक्षा में प्राप्त की गई हमारी जानकारी के साथ सारवान रूप से सुसंगत है या अन्यथा सारवान रूप से अयथार्थ विवरण देने के रूप में प्रतीत होती है।

यदि जो कार्य हमने किया है, यदि उसके आधार पर हम यह निष्कर्ष देते हैं कि इस अन्य सूचना का कोई सारवान मिथ्या विवरण है तो हमारे लिए उस तथ्य की सूचना देना आवश्यक है। इस संबंध में हमें कुछ सूचित नहीं करना है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

ये वित्तीय विवरण, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकंन मानकों सहित भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य–निष्पादन, की सही और सच्ची तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में

उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की रक्षा करने के लिए और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमिताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम के लिए, समुचित लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग ऐसे निर्णय लेने और अनुमान लगाने, जो तर्कसंगत और विवेकपूर्ण हों, ऐसे उपयुक्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रचालरत हों, जो सच्ची और सही तस्वीर प्रस्तुत करते हों और सारवान मिथ्याकथन, चाहे धोखाधड़ी के कारण या गलती के कारण, से मुक्त हों, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का रखरखाव भी शामिल है।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चलते रहने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की कंपनी की योग्यता का मूल्यांकन करने, चलते रहने वाले प्रतिष्ठान से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, और लेखांकन के चलते रहने वाले आधार का इस्तेमाल करने, जब तक प्रबंधन के परिसमापन करने की या प्रचालन बंद करने की मंशा न रखे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प न हो, के लिए भी जिम्मेदार है।

यह निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारे उद्देश्य, इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरण, सारवान मिथ्याकथन से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण, और लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी करना है, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन, आश्वासन का एक उच्च स्तर है परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखापरीक्षा, सदैव किसी सारवान मिथ्या कथन का पता लगा लेगी, जब यह मौजूद हो। मिथ्या कथन, धोखाधड़ी या गलती से उत्पन्न हो सकता है और उसे सारवान तभी माना जाता है यदि अलग–अलग या स्वीकृत रूप से उनसे, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक विषयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

लेखांकन मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय का इस्तेमाल करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान करना और उनका मूल्यांकन करना, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या गलती के कारण और, इन जोखिमों के प्रति लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करना और लागू करना तथा ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जो हमारी राय के लिए एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप किसी सारवान मिथ्या कथन का पता न लगाए जाने का जोखिम गलती के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम की तुलना में उच्चतर होता है, क्यों कि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूंकें, मिथ्य निरूपण या आंतरिक नियंत्रणों का अधिक्रमण शामिल हो सकता है।

- ऐसी लेखपरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने की दृष्टि से, जो परिस्थितियों में समुचित हों, लेखापरीक्षा से सुसंगत आंतरिक नियंत्रण की समझबूझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3)(i) के अंतर्गत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या निगम के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और उन नियंत्रणों का प्रचालनरत प्रभावीपन मौजूद हैं।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित विगोपनों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान आधार के प्रबंधन के इस्तेमाल की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और प्राप्तकिए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह पता लगाना कि क्या घटनाओं या शर्तों से संबंधित कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है, जो चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखे जाने की निगम की योग्यता पर महत्त्वपूर्ण संदेह उत्पन्न कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सारवान अनिश्चितता मौजूद है तो हमारे लिए यह आवश्यक होगा कि हम अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में, वित्तीय विवरणों में संबंधित विगोपनों की ओर ध्यान आकर्षित करें या यदि ये विगोपन हमारी राय संशोधित करने के लिए अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भावी घटनाएं या स्थितियां निगम के लिए एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में जारी न रहने का कारण बन सकती हैं।

- विगोपनों सहित वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करना और क्या वित्तीय विवरण, किसी ऐसे तरीके से, जो उचित प्रस्तुतिकरण प्राप्त करता है, से अंतर्निहित लेन–देनों और घटनाओं को प्रदर्शित कर रहा है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्त्वपूर्ण कमी, जिसका पता

हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान लगाते हैं, सहित सारवान लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों के साथ पत्र व्यवहार करते हैं।

हम अभिशासन के प्रभार वाले व्यक्तियों को एक विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जो हमने स्वतंत्रता के संबंध में सुसंगत नैतिक अपेक्षाओं के साथ संकलित किया है और उनके साथ पत्र व्यवहार करने के लिए सभी संबंध और अन्य मामले, जो हमारी स्वतंत्रता के संबंध में तर्क संगत समझे जाते हैं और जहां लागू हों, संबंधित रक्षोपाय भी उपलब्ध कराते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 (आदेश) द्वारा अपेक्षित है, हम उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक एक विवरण "अनुबंध–क" देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम लागू सीमा तक यह सूचित करते हैं किः

   (क) हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   (ख) हमारी राय में कंपनी ने कानून द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा–बहियां रखी गई हैं, जैसाकि लेखा–बहियों की जांच करने से हमें पता चला है।

   (ग) इस रिपोर्ट से संबंधित अन्य व्यापक आय सहित तुलन–पत्र, लाभ और हानि विवरण इक्विटी में परिवर्तन विवरण नकद प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (घ) हमारी राय में, वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

   (ड) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. (जीएसआर) 463 (ई) दिनांक 05–06–2015 के अनुसार, इस अधिनियम की धारा 164 की उपधारा–2 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

   (च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालनात्मक प्रभावीपन के संबंध में "अनुबंध–ख" के रूप में हमारी पृथक रपोर्ट देखें।

   (छ) कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 के उपबंध, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इस कंपनी पर लागू नहीं होते।

   (ज) हमारे द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसरण में रिपोर्ट के संबंध में तैयार की गई अनुबंध–ग में हमारी रिपोर्ट देखें।

   (झ) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षकों) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

      (i) कंपनी में कोई ऐसे लंबित मुकदमे नहीं है जिनका वित्तीय स्थिति पर प्रभाव होगा।

      (ii) कंपनी के पास व्युत्पत्ति संविदाओं सहित कोई ऐसी दीर्घावधि संविदा नहीं था, जिनके लिए कोई महत्त्वपूर्ण अनुमानित हानियां थी।

      (iii) कोई ऐसी राशियां नहीं थीं, जिन्हें कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

31 मार्च, 2021 को अकेले समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध 'क'

(i) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने स्थिर परिसंपत्तियों के मात्रात्मक ब्योरों और स्थान सहित पूरे विवरण दर्शाने वाले उचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार, अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में उचित अंतरालों पर सभी स्थिर परिसंपत्तियों को वास्तविक सत्यापन उपलब्ध कराता है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस सत्यापन पर कोई सारवान विसंगति जानकारी में नहीं आई है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है।

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी के कारोबार में कोई माल–सूचियां शामिल नहीं हैं और तदनुसार आदेश के पैरा 3 (ii) की शर्तें कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में कवर की गई अन्य पक्षकारों को कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है।

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूतियों के संबंध में लागू होने की सीमा तक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का पालन किया है।

(v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 73 से 76 तक के उपबंधों और अन्य सुसंगत उपबंधों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा उल्लिखित कोई जमा राशियां स्वीकार नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का पैरा 3(v) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(vi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, केन्द्र सरकार ने, कंपनी द्वारा किए गए क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों का रखरखाव विनिर्धारित नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (vi) लागू नहीं है।

(vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के रिकार्डों को हमारी जांच के आधार पर, आय कर और अन्य सारवान सांविधिक देय धनराशियों सहित अवविवादित सांविधिक देय धनराशियों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई/उपर्जित धनराशियां आमतौर पर कंपनी द्वारा समूचित प्राधिरकणों के पास नियमित रूप से जमा की गई हैं।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति कोई अविवादित भुगतानयोग्य धनराशियां, भुगतान योग्य होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि तक बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे आयकर, बिक्रीकर, वस्तु एवं सेवाकर और उप–कर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य वृद्धित कर कोई देय धनराशि नहीं है, जो किसी विवाद के कारण समुचित प्राधिकरणों के पास जमा नहीं की गई हैं।

(viii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास इस अवधि के दौरान वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सरकार या डिबेंचर धारकों से ऋण या उधार नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(viii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने इस अवधि के दौरान सार्वजनिक प्रस्ताव या अगला सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण निवेशों सहित) और सावधि ऋण आरंभ करके कोई धनराशि नहीं जुटाई। तदनुसार आदेश का पैरा 3 (ix) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(x) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार इस अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी द्वारा या कंपनी पर कोई सारवान धोखधड़ी जानकारी में नहीं आई है या सूचित नहीं की गई है।

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने इस अवधि के दौरान किसी प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान

नहीं किया है। प्रदान नहीं किया है और कंपनी ने अधिनियम, 2013 की अनुसूची v के साथ पठित धारा 197 का अनुपालन किया है।

(xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैरा 3(xii) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी पर लागू होने वाली सीमा तक अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन किया है और ऐसे लेनदनों के ब्यौरे, लागू होने वाले लेखाकंन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए हैं।

(xiv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान शेयरों या पूर्णतः या अशंतः प्रदत्त रूपांतरणीय डिबेंचरों का प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है। तुदनुसार आदेश का पैरा 3 (xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 द्वारा कवर किए गए निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्ति के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किए हैं।

(xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईए के अंतर्गत पंजीकरण कराए क्योंकि यह पहले से ही एक वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेष रूप से, एआईएफस को, समय–समय पर अद्यतनीकृत भा.रि.बै. अधिनियम, 1934 के उपबंधों से 'मास्टर निर्देश–छूट' के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकरण से छूट प्रदान कर दी है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के बंद होने के पश्चात कंपनी ने दिनांक 1 सितबर, 2021 के प्रमाणपत्र के अंतर्गत सेबी का अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएन: 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ख

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 तक ''कंपनी'' की स्थिति के अनुसार एनवीसीएफएल के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतारिक वित्तीय नियंत्रणों रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ मिलाकर लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में प्रबंधक–वर्ग की जिम्मेदारी

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा संबंधी दिशा–निर्देश टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधक–वर्ग जिम्मेदार होता है। इस जिम्मेदारी में ऐसा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, लागू करना और बनाए रखना भी शामिल है जो इसके कारोबार का विधिवत और प्रभावी रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहा हो। इसमें निगम की नीतियों, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटि का निवारण तथा पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और पूर्णता तथा अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतारिक वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक टिप्पणी (मार्गदर्शक टिप्पणी) तथा भारतीय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, दोनों पर प्रयोज्य सीमा तक लागू आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित माने जाने वाले भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार की है। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणी द्वारा यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा का नियोजन इस प्रकार करें, जिनसे यह उपयुक्त आश्वासन प्राप्त हो कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किए गए हैं और उनका संचालन किया गया एवं क्या ऐसे नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसकी प्रचालन प्रभावोत्पादकता के बारे में लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं अपनाना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की जानकारी प्राप्त करने, जोखिम, जिनसे महत्त्वपूर्ण हानि होती है, का निर्धारण तथा निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय प्रणाली की प्रचालन प्रभावोत्पादकता की जांच तथा मूल्यांकन एवं निरूपण शामिल है। चयन की प्रक्रियाएं लेखापरीक्षणों के निर्णयों पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की महत्त्वपूर्ण गलतबयानी, चाहे वह धोखाधड़ी हो या त्रुटि हो, के जोखिमों का निर्धारण भी शामिल करना है।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखापरीक्षा की अर्हक राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए बनाई गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) अभिलेखों को उचित विवरणों, यथार्थता से बनाए रखने से संबंधित हों और जिनमें निगम की परिसंपत्तियों के लेन–देन या निपटान को सही तरीके से दर्शाया गया हो, (2) इस संबंध में उचित आश्वासन दे कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आवश्यक लेन–देनों को दर्ज किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को निगम के प्रबंधक वर्ग और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार ही किया जाता है और (3) अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निगम की परिसंपत्तियों के निपटान का निवारण करने या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन देता है, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएंः

प्रबंधन की मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन द्वारा नियंत्रण अधिभावी करने सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर निगम के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं से त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्त्वपूर्ण मिथ्या कथन किया जा सकता हो और जिसका पता नहीं लग पाया हो, शामिल है। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर किसी मूल्यांकन को भविष्य में दर्शाना, जिससे जोखिम हो सकता है और जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में बदली हुई स्थितियों में अपर्याप्त हो सकता है या जिनसे नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में गिरावट आ सकती हो।

राय

हमारी राय में, कंपनी में "भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक संघटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2021 को यथास्थिति हर प्रकार से पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

अनुपालन संबंधी प्रमाणपत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा की है और प्रमाणित किया जाता है कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निर्देशों/उप–निर्देशों का पालन किया है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएन: 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के सदस्यों को हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित अनुबंध ग

31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्रम सं.	निर्देश	उत्तर
I	क्या कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने की प्रणाली विद्यमान है? यदि हां तो वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हैं, के साथ–साथ लेखाओं के एकीकरण पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन–देनों की प्रोसेसिंग के प्रभावों का उल्लेख किया जाए।	जी, हां, कंपनी में सभी लेखांकन लेन–देन आईटी प्रणाली के जरिए प्रोसेस करने के लिए प्रणाली विद्यमान है। कंपनी लेखांकन के लिए टेली, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार आईटी प्रणाली के बाहर कोई लेखांकन लेन–देन प्रोसेस नहीं किया गया है/ना ही बाहर लेकर गए हैं।
II	क्या ऋण की अदायगी के लिए कंपनी की देयता के कारण, कंपनी को ऋणदाताओं द्वारा दिए गए कर्जों/ऋणों/ब्याज आदि की छूट/बट्टेखाते डालने के मामलों या मौजूद ऋण की कोई पुनर्संरचना की गई है? यदि हां तो वित्तीय प्रभाव का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर किसी मौजूदा ऋण या कंपनी ने इस अवधि के दौरान ऋण दाताओं से कोई ऋण स्वीकार नहीं किया है।
III	क्या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों से विशिष्ट स्कीमों के लिए प्राप्त/प्राप्तव्य निधियों को उचित ढंग से लेखे में लिया गया है/शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार उनका उपयोग किया गया है? विपथन के मामलों की सूची दें।	हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा रिकार्डों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी ने विशिष्ट योजनाओं के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों की एजेंसियों से प्राप्त उपयोग के लिए कोई निधियां आबंटित नहीं की है।

देवन्द्र कुमार जैन एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.: 007799एन

ह./–
सीए डी.के. जैन
साझेदार
सदस्यता सं. 083417
यूडीआईएनः 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/09/2021

टिप्पणियां, जो 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं

नोट–1: कॉरपोरेट सूचना एवं लेखांकन का आधार

क. कॉरपोरेट सूचना

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल' अथवा 'कंपनी), भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 28 अगस्त 2020 को निगमित की गई। कंपनी भारत सरकार के उद्यम, द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ('एनएसआईसी') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और सेबी (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के तहत श्रेणी–II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, जिसे वित्तीय वर्ष 2020–21 की समाप्ति के बाद दिनांक 1 सितंबर 2021 के प्रमाण पत्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020 (भारत) में स्थित है।

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड ("योजना") कंपनी की पहली योजना है। इस योजना का उद्देश्य विकास पूंजी, पूर्ण इक्विटी, अर्ध–इक्विटी और ऋण के रूप में एमएसएमईएस को सहायता के प्रावधान के लिए डाटर फंड को निधि सहायता प्रदान करना है।

ख. लेखांकन का आधार

i. अनुपालन कथन

कंपनी अधिनियम, 2013("एक्ट") के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय लेखाकरण मानकों का अनुपालन करते हुए वित्तीय विवरण तैयार किया जाएगा। यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियमावली 2015 और इस अधिनियम के अन्य संबन्धित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए भारतीय लेखाकरण मानकों का निर्धारण अधिनियम के अनुच्छेद 133 अंतर्गत किया गया है।

ii. तैयार करने और प्रस्तुत करने का आधार

भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण एक चल रहे प्रतिष्ठान के रूप में उपार्जित आधार पर और ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों के और वित्तीय देयताओं, जिन्हें सुसंगत भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत यथापेक्षित रिपोर्ट की प्रत्येक तारीख के अंत में उचित मूल्य पर मापा जाता है। इन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों / समय के लिए लगातार लागू किया गया है। चूंकि यह कम्पनी के अनुभव का प्रथम वर्ष है, इस लिए वित्तीय विवरण में पिछली अवधि के तुलनात्मक आकड़े नहीं दिए गए हैं।

हालांकि, कंपनी को समय–समय पर अद्यतन किए गए जाने वाले आरबीआई अधिनियमों, 1934 के प्रावधानों से मुख्य निवेश– छूट द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ गैर–बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकरण से छूट दी गई है, अपने वित्तीय विवरण तैयार करते समय कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड III का अनुपालन किया है। जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक नियम), 2015 में परिभाषित एनबीएफसी पर लागू होते हैं, जिसमें उद्यम पूंजी निधि कंपनियां शामिल हैं। चूंकि कंपनी को एआईएफ की स्थापना के विशिष्ट उद्देश्य के साथ एक उद्यम पूंजी निधि कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है और 31 मार्च 2021 की वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, कंपनी ने निर्धारित किया है कि अधिनियम की अनुसूची II खंड III अधिनियम की अनुसूची III के खंड III की तुलना में वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति का एक अधिक उपयुक्त स्वरूप है। बाद में 1 सितंबर 2021 के प्रमाण पत्र के माध्यम से कंपनी को सेबी से अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

iii. निर्णयों और अनुमानों का इस्तेमाल

कम्पनी की लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे अनुमान लगाएगा और कल्पना करेगा, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को यथास्थिति आकस्मिक देयताओं के विगोपन और परिसंपत्तियों

तथा देयताओं की रिपोर्ट की गई धनराशियों, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और खर्चों की धनराशि तथा वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को प्रभावित करेगा। हालांकि ये अनुमान प्रबंधन की वर्तमान कार्यक्रमों और कार्यवाहियों की सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं, परंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में किए गए किसी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ये परिणाम स्पष्ट हो जाएं।

iv. **महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और प्रबंधन निर्णय**

लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग में, कम्पनी के प्रबंधन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह परिसंपत्तियों और देयताओं की लागत धनराशियों के बारे में निर्णय करे, अनुमान लगाए और कल्पना करें, जो अन्य स्रोतों से आसानी से स्पष्ट न हो सके। ये अनुमान और कल्पनाएं ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित है, जिन्हें सुसंगत माना जाता है। लेखांकन नीतियां, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई धनराशियों पर सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, लागू करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान, अनिश्चितता और महत्त्वपूर्ण निर्णयों के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सूचना नीचे दी गई है:

- **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अमूर्त परिसंपत्तियां:** परिसंपत्तियों के स्वरूप, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग, परिसंपत्ति की परिचालनात्मक स्थिति, प्रतिस्थापन के पिछले इतिवृत्त और अनुरक्षण सहायता को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की गई प्रत्येक तारीख को पीपीईज और अमूर्त परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य और अनुमानित उपयोगी जीवनकाल का मूल्यांकन किया जाता है। समीक्षा करने पर प्रबंधन, मूल्यहास/मौद्रिकीकरण के परिकलन के लिए दिया गया उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्य स्वीकार करता है।

- **आय कर:** भुगतान की जाने वाली प्रत्याशित धनराशि / अनिश्चित कर स्थितियों के लिए वसूल की गई धनराशि सहित आय कर के लिए प्रावधान निर्धारित करने में अनुमान शामिल होते हैं। स्थगित कर परिसंपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए प्रत्याशित भावी लाभप्रदता के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं।

- **वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि:** वित्तीय साधनों की हानि का मूल्यांकन, प्रत्याशित हानि और चूक के जोखिम के बारे में लगाए गए अनुमानों के आधार पर किया जाता है। हानिकरण के परिकलन के लिए इनपुट का चयन, अनुमान, पिछले इतिवृत्त, बाजार स्थितियों और रिपोर्ट की जाने वाली प्रत्येक तारीख के अंत में भावी अनुमानों पर विचार करते हुए प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है।

- **गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का हानिकरण (पीपीई):** गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के हानिकरण का मूल्यांकन उन परिसंपत्तियों की वसूलीयोग्य धनराशि के अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। वसूलीयोग्य धनराशि का परिकलन करने में इस्तेमाल किए गए अनुमान प्रबंधन के निर्णय पर आधारित होते हैं।

- **सुनिश्चित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ:** वर्तमान में, होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति पर आए दो कर्मचारियों के अलावा, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो कम्पनी के पे रोल पर हो और सभी सेवानिवृत्ति लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और प्रतिपूर्ति आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किए जाते हैं।

- **वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य मापन:** जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्य सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्यों के आधार पर नहीं मापे जा सकते तो ऐसी स्थिति में प्रबंधन इसके उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए अन्य मूल्यांकन तकनीकों का इस्तेमाल करता है। ये तकनीकें लागू करने के लिए इनपुट, जहां कही संभव हो, अवलोकनयोग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जहां ऐसा करना व्यवहार्य नहीं है, उचित मूल्य स्थापित करने में निर्णय का इस्तेमाल किया जाता है। इन निर्णयों में परिशोधन जोखिम, क्रेडिट

जोखिम और सचलता जैसे इनपुटों पर विचार शामिल हैं।

- **प्रावधान और आकस्मिकताएं:** अन्य प्रावधानों की मान्यता और मापन, संसाधनों के बर्हिवय की संभाव्यता के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की तारीख को ज्ञात परिस्थितियों तथा पिछले अनुभव पर आधारित होते हैं। इसलिए, भविष्य की किसी तारीख को संसाधनों का वास्तविक बर्हिवय, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हो सकता है।

v. **कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण मुद्राः** ये भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों, जो भारत की मुद्रा है और कम्पनी की कार्यात्मक मुद्रा है।

टिप्पणी– 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का एक साथ जो नीचे दिया गया है। वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए निरंतर लागू किया गया है।

2.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) मूर्त पीपीईज

2.1.1 आरंभिक मान्यता और मापन

i. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मदों को आरंभतः लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। उत्तरवर्ती मापन से संचित मूल्यास, पट्टा समाप्ति समायोजन और संचित हानिकरण हानियां, यदि कोई हैं। घटाकर निकाली गई लागत पर मापन किया जाता है। उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है।

ii. जब पीपीई की किसी मद के भागों का उपयोगी जीवनकाल भिन्न होता है तो उन्हें ऐसे संघटकों का पता लगाकर अलग से मान्यता जाती है।

iii. उक्त लागत में ऐसा व्यय शामिल है जो प्रत्यक्षतः परिसंपत्ति को स्थान तक लाने और इसके अभीष्ट इस्तेमाल के लिए आवश्यक कार्य स्थिति में लाने के कारण हुआ है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की विनिर्दिष्ट मद के प्रत्यक्षतः कारण उधार लेने की लागतें (उधार ली गई निधियों, यदि कोई हो, के अस्थायी निवेश पर आय घटाने के पश्चात) उन मदों के प्रति पूंजीकृत की जाती है।

2.1.2 उत्तरवर्ती लागतें

उत्तरवर्ती खर्च को संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि लगाई गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ उद्यम में प्राप्त होंगे और संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के प्रतिस्थापन भाग की लागत को उस मद की लागत धनराशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना हो कि उस भाग के अंदर शामिल भावी आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे और इसकी लागत विश्वसनीय ढंग से मापी जा सकती है। प्रतिस्थापित भाग की लागत धनराशि का विमान्यताकरण कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की दिन–प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागतों को लाभ या हुई हानि में मान्यता दी जाती है।

2.1.3 विमान्यताकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर को विमान्यताकृत कर दिया जाता है, जब उनके इस्तेमाल से या उनके निपटान पर किसी भावी आर्थिक लाभ की आशा न हो। संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की किसी मद के निपटान पर हुए लाभ और हानियां संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की लागत धनराशि के साथ निपटान से प्राप्त धनराशि की तुलना करके निर्धारित किए जाते हैं और इन्हें लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.1.4 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का हानिकरण

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर को हानिकृत के रूप में माना जाता है, जब परिसंपत्तियों की रखाव लागत इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से अधिक हो हानिकृत हानि को उस वर्ष में लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है जिस वर्ष में परिसंपत्ति की पहचान हानिकृत के रूप में की गई हो और संपत्ति की लागत धनराशि इसकी वसूलीयोग्य धनराशि से घटा दी गई हो, जब तक संबंधित परिसंपत्ति

पुनर्मूल्यकृत धनराशि पर लाई गई हो, जब हानिकृत हानि को पुनर्मूल्यांकन कमी के रूप में माना गया हो। यदि ऐसा कोई संकेत मिलता है कि पहले मूल्यांकन किया गया हानिकरण हानि अब मौजूद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वसूलीयोग्य धनराशि का पुनर्मूल्याकन किया जाता है और परिसंपत्ति को वसूलीयोग्य धनराशि के रूप मे दर्शाया जाता है।

2.1.5 मूर्त संपत्तियों पर मूल्यह्रस

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग' में विनिर्दिष्ट उपयोगी जीवनकाल के अनुसार, मोबाइल फोन उपकरण को छोड़कर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति आधार पर प्रभारित किया जाता है।

क्रम. सं.	परिसंपत्तियों के स्वरूप	उपयोगी जीवनकाल	दर	अवशिष्ट मूल्य
1	कंप्यूटर, लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	3 वर्ष	31. 67%	मूल लागत का 5%
2	मोबाइल फोन उपकरण	3 वर्ष	33. 33%	रु.1/–

II. वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई) से घटावों/ अभिवृद्धियों पर मूल्यह्रस उस तारीख, जिसको परिसंपत्ति उपयोग/ निपटान के लिए उपलब्ध है, से/ तक यथा अनुपात आधार पर प्रभारित किया जाता है।

III. 0.10 लाख रूपये तक की लागत की परिसंपत्तियां, अवशिष्ट मूल्य के रूप में मूल लागत का 5% रखने के पश्चात खरीद के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित की जाती है, सिवाय मोबाइल फोन उपकरण के, जहां 1 रूपये को अवशिष्ट मूल्य के रूप में रखा जाता है।

IV. 0.10 लाख रूपये से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन उपकरणों को प्रबंधन द्वारा उनके जीवन उपयोगी काल के आकलन को ध्यान में रखते हुए, अवशिष्ट मूल्य के रूप में 1/– रुपया रखने के पश्चात उस वर्ष, जिसमें यह प्राप्त किया गया था, से आरंभ करके 3 वर्ष की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।

2.1.6 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी द्वारा किए गए व्यय जो विशेष रूप से एक अमूर्त संपत्ति के विकास के लिए समर्पित हों, और यदि इसमें भारतीय लेखांकन मानक 38 का अनुपालन किया जाता है और विकास पूरा होने पर इनमें मान्यता और माप मानदंडों को पूरा करने की संभावना है तो इसे "विकास के तहत अमूर्त संपत्ति" के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। कंपनी ने एआईएफ के संचालन के लिए सेबी से एक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया पर खर्च किया है और सभी प्रत्यक्ष रूप से समर्पित खर्च, जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक लाभ की संभावना है, को पूंजीकृत किया गया है और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रकट किया गया है और ऐसी संपत्ति सेबी अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख से परिशोधित होगी।

2.2 राजस्व मान्यता

राजस्व प्राप्त किए गए और प्राप्तियोग्य प्रतिफल के उचित मूल्य पर मापा जाता है। आय/ राजस्व की सभी मदें और व्यय प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिए जाते हैं जहां नीचे उल्लिखित वसूली के बारे में निश्चित हो:

2.2.1 ब्याज आय

सावधि जमा पर ब्याज आय समय के आधार पर, बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में अर्जित की जाती है, यह वो दर है जिस पर प्रारम्भिक पहचान के बाद उस परिसंपत्ति की निवल अग्रणीत राशि पर वित्तीय आस्तियों के अपेक्षित जीवनकाल के माध्यम से अनुमानित भावी नकद प्राप्ति को सटीक रूप से छूट देती है।

2.2.2 व्यय का आवंटन

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यय प्रोद्भवन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किए जाते हैं।

2.3 कर्मचारी लाभ

2.3.1 वर्तमान में, कम्पनी ने कोई भी कर्मचारी और कार्मिक नहीं रखा है, इसकी होल्डिंग कम्पनी एनएसआईसी से प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों से आवश्यक

कार्य करवाए जाते हैं। कम्पनी में प्रतिनियुक्ति किए गए कर्मचारियों की सैलरी, ग्रेच्युटी, दीर्घकालिक सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य लाभ एनएसआईसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और कम्पनी द्वारा एनएसआईसी को वहनीय लागत की प्रतिपूर्ति की जाती है।

2.4 कराधान

अवधि के खर्चों में, चालू कर और आस्थापित कर शामिल होते हैं। कर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक, जिस सीमा तक यह अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जहां कर को अन्य व्यापक आय या इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है।

2.4.1 वर्तमान कर

वर्तमान कर लागू होने वाली कर दरों और आय कर अधिनियम 1961 तथा लागू होने वाले अन्य कर कानूनों के अनुसार यथानिर्धारित वर्ष के लिए करयोग्य आय पर भुगतानयोग्य कर है।

2.4.2 आस्थगित कर

i. आस्थगित कर को, वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की रखाव धनराशियों के बीच अस्थायी अंतरों के संबंध में मान्यता दी जाती है और तदनुसार धनराशियों का उपयोग, कराधान उद्देश्य के लिए किया जाता है।

ii. आस्थगित करदेयताओं को आमतौर पर, सभी करयोग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को आमतौर पर, केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जिस सीमा तक यह संभावना हो कि भावी करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके प्रति परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों की रखाव धनराशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और उस सीमा तक घटा दिया जाता है, जिस सीमा तक अब यह संभावना न हो कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएंगे।

2.5 प्रति शेयर अर्जन

उस अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयरधारकों से संबन्धित शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या, साथ ही इक्विटी शेयरों की उस भारित औसत संख्या जो मूल कंपनी के इक्विटी शेयरों में सभी संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाएगी, से विभाजित करके की प्रति शेयर नकदी आय की गणना जाती।

2.6 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में, हस्तगत नकदी, बैंकों में मांग जमा राशियाँ आदि शामिल होती हैं। कम्पनी, नकदी समतुल्य को, सभी अल्पावधि शेषों (अर्जन की तारीख से तीन महीने या इससे कम की मूल परिपक्वता अवधि वाले), अत्याधिक अस्थिर निवेशों, जो नकदी की ज्ञात धनराशियों में तत्काल परिवर्तित हैं और जो मूल्य परिवर्तनों के नगण्य जोखिम के अधीन हों, के रूप में मानती है।

2.7 नकदी प्रवाह विवरण

" नकदी प्रवाह विवरण ", भारतीय लेखांकन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का इस्तेमाल करके, रिपोर्ट किए जाते हैं।

2.8 प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

2.8.1 प्रावधान

किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कम्पनी का कोई वर्तमान विधिक या रचनात्मक दायित्व हो, यह संभव है कि आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनो बहिवार्ह के लिए इस दायित्व का निपटान करना आवश्यक होगा और दायित्व की धनराशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन अनुमानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए इन्हें नियोजित किया जाता है।

2.8.2 आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

I. एक आकस्मिक दायित्व एक संभावित दायित्व है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है

जिसका अस्तित्व कंपनी के नियंत्रण अथवा किसी ऐसे वर्तमान दायित्व जिसका महत्व नहीं है, से परे भविष्य की एक या अधिक अनिश्चित घटनाओं अथवा घटना के विना पुष्टि की जाएगी क्योंकि इस बात की संभावना नहीं है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह (आऊटफ्लो) की आवश्यकता होगी। आकस्मिक दायित्व भी अत्यंत दुर्लभ मामलों में उत्पन्न होता है, जहां ऐसी देयता होती है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे विश्वसनीय रूप से नहीं मापा जा सकता है। कंपनी आकस्मिक दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, लेकिन वित्तीय स्थिति में इसके अस्तित्व का खुलासा करती है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की बहुत कम संभावना हो।

II. वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। यदि आर्थिक लाभ की आमद संभावित है, तो वित्तीय विवरणों में इसका खुलासा किया जाता है।

III. प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर प्रावधानों, आकस्मिक देनदारियों, आकस्मिक संपत्तियों और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाती है।

2.9 वित्तीय विलेख

वित्तीय विलेख, एक ऐसा अनुबंध है, जिससे किसी कम्पनी की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य कम्पनी की वित्तीय देयता या इक्विटी विलेख उत्पन्न होता है।

2.9.1 आरंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को आरंभ में उचित मूल्य पर मापा जाता है, सिवाय व्यापार प्राप्यों के मामले में, जिसमें इन्हें लेन–देन के मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन लागतें, जो प्रत्यक्ष वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्ति के अलावा) के अर्जन या निर्गमन के कारण होती हैं, आरंभिक मान्यता पर, वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयताओं, जैसा भी उपयुक्त हो, के उचित मूल्य में जोड़ दी जाती हैं या उनमें से घटा दी जाती हैं। एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण प्रत्यक्षत लेन–देन लागतों को लाभ एवं हानि विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

2.9.2 वित्तीय परिसंपत्तियां

I. उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों में, निवेश, ऋण, व्यापार प्राप्तव्य, प्रतिभूति जमा राशियां, नकदी और नकदी समतुल्य आदि शामिल हैं। मापन, उस उद्देश्य, जिसके लिए ये परिसंपत्तियां अर्जित की गई थीं, पर निर्भर करते हुए आरंभिक मान्यता पर किसी परिसंपत्ति का वर्गीकरण निर्धारित करता है।

उत्तरवर्ती मापन के उद्देश्य के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियां, आरंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत की जाती हैं:

- प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का इस्तेमाल करके परिशोधित लागव पर
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य (एफवीओसीआइ) पर

एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियों के अलावा, अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियां, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर हानिकरण हेतु समीक्षा के अधीन हैं।

(क) परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, परिशोधित लागत पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित शर्तों में से दोनों शर्तें पूरी की गई हों:

क) वित्तीय परिसंपत्ति किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंदर रखी गई हो, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने की दृष्टि से वित्तीय परिसंपत्तियां रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशेष तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हों।

आरंभिक मापन के पश्चात, ये वित्तीय परिसंपतियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। यह (ईआईआर) पद्धति किसी वित्तीय परिसंपति की लागत का परिकलन करने और सुसंगत अवधि में आप आबंटित करने की एक पद्धति है। प्रभावी ब्याज दर वह दर है जो वित्तीय परिसंपत्ति के प्रत्याशित जीवनकाल के जरिए या जहां उपयुक्त हो आरंभिक मान्यता पर निवल रखरखाव धनराशि की अपेक्षाकृत अवधि की प्रत्याशित भावी नकदी प्राप्तियों (भुगतान की गई या प्राप्त की गई सभी शुल्कों सहित, जो प्रभावी ब्याज दर, लेन–देन लागते और अन्य प्रीमियमों और छूट का एक अभिन्न अंग है) में सही–सही बट्टाकृत करती है।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, तथा नकदी से भिन्न दूसरे बैंक शेष तथा नकदी समतुल्य व्यापार प्राप्तव्य और वित्तीय विलेखों की इस श्रेणी में आते हैं।

(ख) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) – कोई वित्तीय परिसंपति अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर मापी जाएगी, यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी की गई हैं:

क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य, संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करके और वित्तीय परिसंपत्तियां बेचकर प्राप्त किया गया हो।

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें, विशिष्ट तारीखों को ऐसे नकदी प्रवाह उत्पन्न करना है, जो अनन्य रूप से मूलधन और मूलधन की बकाया धनराशि पर ब्याज के भुगतान हैं।

ग) उचित मूल्य संचालनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और आरक्षित में संचित किया जाता है। वर्तमान में, एफवीटीओसीआई वर्गीकृत करने के लिए कोई विलेख नहीं है।

(ग) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) – कोई वित्तीय परिसंपत्ति, एफवीटीपीएल पर मापी जाती है, जब तक यह लाभ एवं हानि विवरण में माने गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर न मापी गई हो।

II. वित्तीय परिसंपत्तियों में हानिकरण

प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में कम्पनी साक्ष्य या सूचना, जो अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध हो, के आधार पर हानिकरण के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह (लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा) की जांच करता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन किया जाता है और हानिकरण क्षति को मान्यता दी जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति के क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है।

हानिकरण क्षतियों और प्रत्यावर्तनों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अंतर्गत हानिकरण मॉडल, वित्तीय विलेखों पर लागू होता है, जो नीचे सूचीबद्ध हैं:

- वित्तीय परिसंपत्तियां, जो ऋण विलेख हैं, परिशोधित लागत पर मापी जाती है। जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियां जमा और बैंक शेष।

III. वित्तीय परिसंपत्तियों की विमान्यताकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों का विमान्यताकरण तब किया जाता है जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार अंतरित कर दिए जाते हैं।

पूरी तरह किसी वित्तीय परिसंपत्ति के विमान्यकरण पर परिसंपत्ति की रखाव धनराशि और प्राप्त हुए या प्राप्तियोग्य प्रतिफल तथा संचयी लाभ या हानि, जिसे अन्य व्यापक आय और इक्विटी में संचित के रूप में मान्यता दी गई थी, की रकम के बीच के अंतर को लाभ एवं हानि के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि ऐसे लाभ या हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ एवं हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी गई हो।

2.9.3 वित्तीय देयताएं और इक्विटी विलेख

2.9.3.1 इक्विटी विलेख

इक्विटी विलेख ऐसा अनुबंध है जो किसी प्रतिष्ठान की सभी देनदारियों को हटाने के बाद उसकी परिसंपत्तियों में अवशिष्ट हित का प्रमाण देता है। प्रतिष्ठान द्वारा जारी किए गए इक्विटी विलेखों को प्राप्त आय पर, प्रत्यक्ष निर्गम लागतों के निवल पर मान्यता दी जाती है।

2.9.3.2 वित्तीय देयताएं

कम्पनी की वित्तीय देयताओं में व्यापार तथा अन्य भुगतानयोग्य सांविधिक बकाया शामिल होता है। सभी वित्तीय देयताओं को आरंभतः उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

I. वित्तीय देयताओं का उत्तरवर्ती मापन

क) परिशोधित लागतों पर वित्तीय देयताएं– आरंभिक मापन के पश्चात ये वित्तीय परिसंपत्तियां बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का इस्तेमाल करके परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं। लाभ और हानियों को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जब ये देयताएं विमान्यताकृत कर दी गई हों और इन्हें ईआईआर परिशोधन की प्रक्रिया के जरिए मान्यता दी जाती है। परिशोधित लागत, किसी अधिग्रहण पर किसी बड़े या प्रीमियम और ऐसे शुल्कों या लागतों, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है, को ध्यान में रखते हुए परिकलित की जाती है। ईआईआर परिशोधन को लाभ एवं हानि विवरण में वित्तपोषण लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह श्रेणी आमतौर पर उधारों भुगतानयोग्य राशियों और अन्य संविदात्मक देयताओं पर लागू होती है।

ख) लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखी गई वित्तीय देयताएं और लाभ एवं हानि विवरण के जरिए उचित मूल्य पर आरंभिक मान्यता पर नामजद वित्तीय देयताएं शामिल हैं। उन वित्तीय देयताओं, जिनका निपटान 12 महीनों के अंदर किया जाना हो, के अग्रेनीत मूल्य को उसका उचित मूल्य माना जाता है।

II. वित्तीय देयताओं का विमान्यकरण

किसी वित्तीय देयता को उस समय विमान्यताकृत किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन कर दिया गया हो या रद्द कर दिया गया हो या उसकी अवधि समाप्त हो गई हो। जब कोई वर्तमान वित्तीय देयता उत्तरवर्ती भिन्न शर्तों या किसी वर्तमान देयता की शर्तों पर उसी ऋणदाता से अन्य ऋणदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है तो उसे बाद में संशोधित कर दिया जाता है और इस प्रकार की अदला–बदली या संशोधन को मूल देयता का विमान्यकरण और नई देयता की मान्यता माना जाता है। संबंधित रखाव धनराशियों में आए अंतर को लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.10 पट्टे

पट्टाकर्ता के रूप में कम्पनी

वर्तमान में, कंपनी के साथ पट्टेदार के रूप में कोई लीज (ऑपरेटिंग या फाइनेंस लीज) करार नहीं किया गया है।

पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने लीज पर ऑफिस स्पेस ले लिया है जिसके लिए लीज रेंटल भुगतान किया जाता है। ये पट्टा व्यवस्था आमतौर पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर नवीकरणीय होती है। भारतीय लेखा मानक–116 द्वारा निर्धारित पट्टेदार द्वारा लेखांकन निम्नानुसार है:

कंपनी परिसंपत्तियों को उपयोग करने के अधिकार और सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए तदनुरूप पट्टा देयता को स्वीकार करती है, जिसमें इन्हें पट्टे पर दिया जाता है। लेकिन बारह महीने या कम (अल्पकालिक पट्टों) की अवधि के संबंध में यह पट्टा स्वीकार नहीं किया जाता है, क्योंकि बिना लिखित करार और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टे को स्वीकार नहीं किया जाता है।

अल्पकालिक पट्टे बारह महीने या बारह महीने से अधिक के पट्टा करारों से कम के संबंध में यह पट्टा करार लागू नहीं होता है, क्योंकि कुछ

नोटिस अवधि देकर किसी भी समय इन्हें रद्द किया जा सकता है।

मानक में कम मूल्य की परिसंपत्तियों की कोई सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन इसमें टेबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर / लैपटॉप और पीपीई की छोटी मदें आदि जैसी कम मूल्य की परिसंपत्तियां शामिल होती हैं।

अल्पकालिक और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी पट्टे की अदायगी को पट्टे की अवधि के संबंध में स्ट्रेट लाइन आधार पर प्रचालन व्यय के रूप में स्वीकार करती है।

परिसंपत्तियों के प्रयोग के अधिकार को प्रारंभ में लागत पर स्वीकार किया जाता है, जिसमें पट्टा देयता की आरंभिक रकम शामिल होती है, जो ऐसे पट्टे भुगतान के संबंध में समायोजित की जाती है। जो किसी पट्टा प्रोत्साहन की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत से कम और पट्टे की तारीख से या उससे पहले अदा की जाती है। इनका मापन बाद में ऐसी कम लागत पर किया जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों के उपयोग का आधार भारतीय लेखांकन मानक 16–संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) के अनुसार कम किया जाएगा।

शुरू में पट्टे के दायित्व को भावी पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान पर बट्टा दिया जाता है। जिसमें पट्टे पर लागू ब्याज की दर या यदि ब्याज दर तत्काल सुनिश्चित न की जा सके, तो बढ़ोत्तरी वाली उधार की दर का प्रयोग करके तय की जाती है।

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

31.03.2021 के यथास्थिति तुलन–पत्र

(लाख रू. में)

क्रम. सं.		विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 को यथास्थिति	
		परिसंपत्तियां			
1		**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क)	नकदी एवं नकदी समक्ष	**3**	10.50	
	(ख)	नकदी और नकदी के अलावा बैंक शेष	**4**	500.00	
	(ग)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	**5**	9.69	520.19
2		**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**			
	(क)	सम्पत्ति, संयंत्र, और उपकरण	**6**	1.00	
	(ख)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	16.93	
	(ग)	अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	**7**	4.90	22.83
		कुल परिसंपत्तियां			**543.02**
		देयताएं और इक्विटी			
		देयताएं			
1		**वित्तीय देयताएं**			
	(क)	**देय**	**8**		
		(I) व्यापार देय			
		(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		0.56	
		(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		0.00	
	(ख)	अन्य वित्तीय देयताएं	**9**	1.61	2.17
2		**गैर–वित्तीय देयताएं**			
	(क)	वर्तमान कर देयताएं (निवल)	**10**	1.95	1.95
		कुल देयताएं			**4.12**
3		**इक्विटी**			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	**11**	600.00	
	(ख)	अन्य इक्विटी	**12**	-61.10	538.90
		कुल इक्विटी			**538.90**
		कुल देयताएं और इक्विटी			**543.02**
वित्तीय विवरणों हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें			**1 से 26**		

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{**डीआईएन नं०: 03165567**}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{**डीआईएन नं०: 08535482**}

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 083417
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{**सदस्यता संख्याः ए22768**}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए लाभ और हानि का विवरण

(लाख रू. में)

क्र.सं.	विवरण	नोट संख्या	31.03.2021 को यथास्थिति
I.	**प्रचालनों से राजस्व**	-	-
	प्रचालनों से कुल राजस्व		-
II.	अन्य आय	13	11.06
III.	**कुल आय (I+II)**		11.06
IV.	**व्यय**		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	14	0.01
	अन्य व्यय	15	69.37
	कुल व्यय (IV)		**69.38**
V	**लाभ/(हानि) कर से पहले (III-IV)**		**–58.32**
VI	**कर व्यय**	16	
	वर्तमान कर		2.78
	आस्थगित कर		-
	कुल कर व्यय (VI)		**2.78**
VII	**वर्ष के दौरान लाभ/(हानि) (V-VI)**		**–61.10**
VIII	**अन्य व्यापक आय**		
क)	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-
ख)	मदें, जिन्हें लाभ अथवा हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा		-
	कुल अन्य व्यापक आय (क + ख)		-
IX	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय इस अवधि के लिए (VII + VIII) (सम्मिलित लाभ/हानि) और अन्य व्यापक आय**		**–61.10**
X	**प्रति इक्विटी शेयर आय/(हानि)**	17	
	मूल (रु.)		-10.18
	तनुकृत (रु.)		-10.18

वित्तीय विवरणों हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 083417
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{डीआईएन नं०: 03165567}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{डीआईएन नं०: 08535482}

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता संख्याः ए22768}

टिप्पणी–3: नकदी एवं नकदी समतुल्य

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
बैक में शेषः	
चालू खाता	10.50
कुल	**10.50**

टिप्पणीः– उपर्युक्त रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक रोकड़ और रोकड़ समतुल्यों के संदर्भ में प्रत्यावर्तन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

टिप्पणी–4: नकदी और नकदी समतुल्यों के अलावा बैंक शेष

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
सावधि जमा (परिपक्वता 90 दिन से अधिक परंतु 370 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए)	500.00
कुल	**500.00**

नोटः निश्चित ब्याज पर सावधिक जमा आय

टिप्पणी–5: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
अर्जित ब्याज परंतु निश्चित/अल्पकालिक जमा पर देय नहीं	9.69
कुल	**9.69**

टिप्पणी–6: संपत्ति, संयत्र और उपकरण

(लाख रू. में)

विवरण	कम्प्यूटर, लेपटॉप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	मोबाइल	कुल
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
सकल वहन राशि			
आरंभिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.87	0.14	1.01
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार सकल वहन राशि	**0.87**	**0.14**	**1.01**
संचित मूल्यह्रास और हानि			
आरम्भीक शेष	-	-	-
वर्ष में मूल्यह्रास व्यय	-	0.01	0.01
वर्ष के दौरान जमा	-	-	-
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार संचित मूल्यह्रास और हानि	-	**0.01**	**0.01**
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति के अनुसार कुल वहन राशि	**0.87**	**0.13**	**1.00**

टिप्पणी–7: उच्च गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
सरकारी प्राधिकरणों में शेष	4.90
कुल	**4.90**

टिप्पणी–8: देयताएं

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
व्यापार देयताएं	
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया कुल देयताएं।	0.56
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की बकाया देयता है।	–
कुल	**0.56**

नोटः ऐसा कोई भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम नहीं है, जिसके लिए कंपनी की बकाया राशि वर्ष के दौरान 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया हो। ऐसी सूचना, जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत प्रकट करने की आवश्यकता हो, आपूतिकर्ता की स्थिति के बा्रे में कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की किसी भी पार्टी के भुगतान करने के लिए कोई भी ब्याज बकाया नहीं है। सांविधिक लेखा–परीक्षा शुल्क के प्रावधान के सूक्ष्म, और लघु उद्यम के बकाया के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि लेखा फर्म के एक सूक्ष्म उद्यम हैं, तथापि, कोई भी बकाया देय नहीं है चूंकि वास्तविक भुगतान लेखा परीक्षा को पूरा होने पर चालान जारी करने पर देय हो जाएगा।

टिप्पणी–9: अन्य वित्तीय देनदारियां

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
सांविधिक बकाया देय	1.61
कुल	**1.61**

टिप्पणी–10: वर्तमान कर देयताएं (कुल)

(लाख रू. में)

विवरण		31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
आय कर के प्रावधान	2.78	
कमः आय कर का भुगतान	-0.83	1.95
कुल		**1.95**

टिप्पणी–11: इक्विटी शेयर कैपीटल

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
(क) प्राधिकृत शेयर पूंजी	
रू. 100 प्रति का 10,000,000 इक्विटी शेयर	1000.00
कुल	**1000.00**
(ख) जारी, सब्सक्राइब और भुगतान की गई शेयर पूंजी	
रू. 100 प्रति का 6,00,000 इक्विटी शेयर	600.00
कुल	**600.00**

(ग) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलानः

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	-	-
जोड़/(कम) : वर्ष के दौरान जारी	600000	600.00
वर्ष के अंत में शेष राशि	**600000**	**600.00**

(घ) कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रत्येक शेयरधारके के पास 5 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं और धारित इक्विटी शेयरों की संख्या निम्नानुसार है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति	
	शेयरों की संख्या	कुल प्रदत्त इक्विटी शेयर कैपीटल प्रतिशत
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*	100
कुल	**600000**	**100**

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(ड़) होल्डिंग कंपनी दवारा रखे गए शेयरों की संख्या

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	600000*
कुल	**600000***

* कंपनी के नामित व्यक्ति के रूप में अन्य लोगों दवारा रखे गए 6 शेयर इसमें शामिल है।

(च) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिभारः

कंपनी के पास इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है, जिसमें प्रतिशेयर 100 रू. का है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक शेयर धारक एक वोट का हकदार है।

कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

बोनस शेयरः

स्थापना के बाद से काई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया है।

टिप्पणी–12: अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
संचित हानि	-61.10
कुल	**-61.10**

संचित हानि

संचित हानि रिपोर्टिंग अवधि के लिए कंपनी की संचित हानि को दर्शाती है।

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
आरंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान हानि	-61.10
अंतिम शेष	**–61.10**

टिप्पणी–13: अन्य आय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
बैंक में रखे गए सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	11.06
कुल	**11.06**

टिप्पणी–14: मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
इन पर मूल्यह्रास	
मोबाइल	0.01
कम्प्यूटर/लैपटाप और प्रोसेसिंग यूनिट्स	0.00
कुल	**0.01**

टिप्पणी–15: अन्य व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
विज्ञापन और प्रचार #	26.03
जनशक्ति समर्थन लागत #	15.94
भर्ती व्यय	14.84
कंपनी के निगमन पर भुगतान किए गए शुल्क और कर #	10.83
यात्रा, वाहन और वाहन प्रभार #	0.57
लेखा परीक्षकों को भुगतान – सांविधिक लेखा परीक्षा व्यय *	0.50
मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय #	0.29
वेबसाइट और वेब पोर्टल पर व्यय	0.12
जलपान #	0.10
किराया भुगतान #	0.07
विधिक और व्यावसायिक शुल्क	0.06
विविध व्यय	0.02
कुल	**69.37**

* सांविधिक लेखा परीक्षक को सांविधिक लेखापरीक्षा के अलावा कोई अन्य भुगतान नहीं किया गया है।

नोट–21 का संदर्भ लें

टिप्पणी–16: कर व्यय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
वर्तमान कर	
इस अवधि की कर योग्य राशि पर वर्तमान कर	2.78
कुल वर्तमान कर	**2.78**
आस्थिगत कर व्यय	
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	-
कुल आस्थिगत व्यय	**-**
कुल कर व्यय	**2.78**

आयकर में वर्तमान कर और आस्थिगत कर शामिल है। वर्तमान कर को आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्ष के लिए देय आय के संबंध में भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है और यदि को अधिकता अथवा कमी होती है तो, उसे परिसंपत्तियों को अतिम रूप देते समय समायोजित कर लिया जाता है। देशी कंपनियों को कम कर्पोरेट कर दर का लाभ देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में धारा 115 बीएए को जोड़ा गया है। धारा 115 बीएए में कहा गया है कि देशी कंपनियों के पास विकल्प है कि वे वित्त वर्ष 2019–20 (मूल्याकंन वर्ष 2020–21) से 22 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकती हैं यदि ये देशी कंपनियां इसमें निर्देशित कुछ निश्चित शर्तों का पालन करती हैं कंपनी ने चालू अवधि के लिए इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया है और खाता वहीं में तदनुसार कर प्रावधान किए गए हैं।

टिप्पणी–16.1: प्रभावी कर दर का समाधान

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
कर से पहले हानि	-58.32
भारत में कंपनियों पर लागू होने वाली अधिनिगमित आय कर दर	25.168%
परिकलित कर व्यय	2.78
लागू कर	
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य व्यय	0.00
कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती न करने योग्य व्यय	69.38
चालू कर प्रावधान	2.78
वृद्धिशीलता आस्थिगत कर परिसंपित्तियां (देयता)	0.00
लाभ और हानि विवरण में निर्धारित कर व्यय	2.78
प्रभावी कर दर	**25.168%**

टिप्पणी–17: प्रतिशेयर आय

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
(क) इक्विटी शेयर धारको के कारण शुद्धनाम/(हानि)	-61.10
(ख) प्रति शेयर मूल कमाई के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या	600000
तनुकृत की प्रभाव	
(ग) तनुकृत आय प्रति शेयर के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	600000
प्रति शेयर आय (मूल) (रू.) (ए/बी)	-10.18
प्रति शेयर आय (तनुकृत) (रू.) (ए/सी)	-10.18

टिप्पणी– 18 सेगमेंट रिपोर्टिंग

कंपनी को वित्तीय और निवेश गतिविधियों के लिए स्थापित किया गया है और वर्तमान में एक ही व्यवसाय और भौगोलिक खंड में काम करती है।

टिप्पणी– 19 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं

(क) 31 मार्च 2021 को यथास्थिति कंपनी की कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(ख) भविष्य की अवधि के लिए विधि सलाहकार व्यय के प्रति प्रतिबद्धताएं आईएनआर 229.07 लाख है।

टिप्पणी– 20 रिपोर्टिंग तिथि के बाद के कार्य

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसी कोई कार्य नहीं किया गया जिसके लिए इन वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

टिप्पणी– 21 संबंधित पार्टियों का विवरण

(क) संबंधित पार्टियों के नाम और उनसे संबंधों की प्रकृतिः

संबंध का विवरण	संबंधित पार्टी का नाम
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड
मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	श्री विजयेंद्र (अध्यक्ष)
	श्री गौरांग दीक्षित (निदेशक)
	श्रीमती निष्ठा गोयल (कंपनी सचिव)

(ख) वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के नाम और लेनदेन की प्रकृतिः

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	प्राप्त इक्विटी आय	600.00
	कंपनी की ओर से संबंधित पार्टी द्वारा किए गए व्यय के किए की गई प्रतिपूर्ति	
	– जनशक्ति समर्थन लागत	15.94
	– भुगतान किया गया किराया	0.07
	– विज्ञापन और प्रचार	13.67
	– कंपनी निगमन पर भुगतान किया गया कर व ड्यूटी	10.83
	– अन्य व्यय (अर्थात मुद्रण और स्टेशनरी, यात्रा, वाहन और वाहन शुल्क और जलपान)	0.82
	लिया गया अग्रिम	1.00
	चुकाया गया अग्रिम	1.00

(ग) संबंधित पार्टी लेनदेन के लिए बकाया राशि का विवरण:

(लाख रू. में)

संबंधित पार्टी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि
होल्डिंग कंपनी	इक्विटी योगदान	600.00

(घ) संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किया जाता है जो सामान्यतः लेनदेन में प्रचलित होते हैं। उपरोक्त सभी मूल्य (टिप्पणी संख्या 21 (ख) जहां लागू हो, जीएसटी के बिना हैं।

टिप्पणी– 22 पट्टे

भारतीय लेखांकन मानक– 116 के अनुसार, पट्टों के अनुसार, अल्पकालिक पट्टे और कम मूल्य की संपत्ति के मामले में मानक में निर्धारित मुख्य सिद्धांतों को लागू करना वैकल्पिक है। चूंकि कंपनी का एकमात्र पट्टा अनुबंध 12 महीने से कम की अवधि के लिए है और महत्वहीन मूल्य का है, कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक– 116 में बताए अनुसार मुख्य सिद्धांतों को लागू नहीं करने का विकल्प चुना है।

<u>लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि</u>

31 मार्च 2021 को समाप्त अवधि के दौरान, लाभ और हानि के विवरण में रु.0.07 लाख के परिचालन पट्टे की प्रकृति में पट्टा किराए को मान्यता दी गई है। 11 महीने के कार्यकाल के बाद कोई अनुबंध पट्टा भुगतान प्रतिबद्धता नहीं है।

टिप्पणी– 23 वित्तीय विलेख – उचित मूल्य

I. पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन के उद्देश्य के लिए, पूंजी में कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण जारी इक्विटी पूंजी और अन्य सभी इक्विटी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। कंपनी के पूंजी प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य शेयर पूंजी की सुरक्षा और रक्षा और शेयरधारक के धन में वृद्धि करना। कंपनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करती है। समय–समय पर, कंपनी शेयरधारकों को पूंजी पर वापसी के लिए पूंजी संरचना की समीक्षा करती है। 31 मार्च 2021 की यथास्थिति के अनुसार कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

II. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार देय और अन्य वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य है कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके परिचालनों में सहयोग हेतु गारंटी प्रदान करना। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में नकदी और नकदी समकक्ष, अन्य बैंक शेष और अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होती हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और लिक्विडिटी जोखिम का सामना करती है। विदेशों में कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों का प्रबंधन करते हैं। कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों पर प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाती है और वित्तीय जोखिम की पहचान, मापन किया जाता है और वरिष्ठ प्रबंधन निर्णयों और नितियों के अनुसार इनका प्रबंधन किया जाता है।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम होता है जिसमें बाजार की कीमतों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के भावी नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में उतार–चढ़ाव आएगा। बाजार जोखिम में तीन प्रकार के जोखिम मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम शामिल हैं। इक्विटी मूल्य जोखिम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी के पास कोई उधार और विदेशी मुद्रा लेनदेन नहीं है, इसलिए ब्याज जोखिम के साथ ही मुद्रा जोखिम का सामना नहीं करना पड़ा।

ख) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसके अंतर्गत यदि कोई भी कंपनी वित्तीय साधनों और ग्राहक अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकेगी, तो उसे वित्तीय नुकसान होगा। कंपनी अपनी परिचालन गतिविधियों (मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य) से क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है, वर्तमान में कंपनी में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है। कंपनी ने किसी भी क्रेडिट खराब करने वाली संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। किसी भी वित्तीय संपत्ति में कोई संशोधन नहीं है।

ग) चलनिधि जोखिम प्रबंधन

कंपनी बैंकिंग सुविधाओं और आरक्षित उधार सुविधाओं को बनाए रखते हुए, पूर्वानुमान और वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी और वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की परिपक्वता प्रोफाइल का मिलान करके चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है। कंपनी के पास वित्त पोषण के पर्याप्त स्रोत है।

रिपोर्टिंग तिथि पर वित्तीय देनदारियों की शेष संविदात्मक परिपक्वता निम्नानुसार है। यह राशि सकल राशि है और बिना रियायत के भुगतान की गई है

(लाख रू. में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता 31.03.2021	1 वर्ष या उससे कम	1–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
उधारी	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार देयताएं	0.56	0.00	0.00	0.56
अन्य वित्तीय देयताएं	1.61	0.00	0.00	1.61

टिप्पणी: यह संचालन का पहला वर्ष है इसलिए पिछले वर्ष के संबंध में कोई आंकड़े नहीं हैं।

क. वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण

निम्नलिखित तालिका में वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम में शामिल उनके स्तर की वहन राशि और उचित मूल्य को दर्शाया गया है। यदि वहन राशि उचित मूल्य का उचित अनुमान है, इसे उचित मूल्य पर मापा नहीं गया है, इसमें वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों के लिए उचित मूल्य की जानकारी शामिल नहीं है।

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	टिप्पणी सं.	वहन राशि			कुल
		लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	अन्य व्यापक के माध्यम से उचित मूल्य	उचित कुल	
वित्तीय परिसंपत्तियां					
नकदी और नकदी समकक्ष	3	-	-	10.50	10.50
नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	500.00	500.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	-	-	9.69	9.69
वित्तीय देयताएं					
देय					
व्यापार देयताएं	8	-	-	0.56	0.56
अन्य वित्तीय देयताएं	9	-	-	1.61	1.61

(लाख रू. में)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	टिप्पणी सं.	उचित मूल्य			कुल
		स्तर –1	स्तर –2	स्तर –3	
वित्तीय परिसंपत्तियां					
नकदी और नकदी समकक्ष	3	-	-	10.50	10.50
नकदी और नकदी समकक्ष के अलावा अन्य बैंक शेष	4	-	-	500.00	500.00
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	-	-	9.69	9.69
वित्तीय देयताएं					
देय					
व्यापार देयताएं	8	-	-	0.56	0.56
अन्य वित्तीय देयताएं	9			1.61	1.61

ख. उचित मूल्य पदानुक्रम

कंपनी निम्नलिखित उचित मूल्य पदानुक्रम का उपयोग करके उचित मूल्य को मापती है, जो माप बनाने में उपयोग किए गए इनपुट के महत्व को दर्शाती है।

स्तर –1 : इनपुट जिनमें समान संपत्ति या देयताओं के लिए सक्रिय बाजारों में बाजार मूल्य (असमायोजित) उद्धृत किए जाते हैं।

स्तर –2 : उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय साधनों का मूल्य निर्धारित किया जाता है, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकन योग्य बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम किया जाता है, जैसे कि सक्रिय बाजारों में समान संपत्ति और देनदारियों के लिए उद्धृत मूल्य, काफी हद तक वित्तीय साधन की पूरी अवधि के लिए होते हैं लेकिन स्तर 1 इनपुट के रूप में योग्य नहीं है। यदि एक उपकरण के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट देखे जा सकते हैं, तो उपकरण को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर –3 : यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर 3 में शामिल किए जाते हैं। इस लिए , जोखिम के बारे में बाजार सहभागियों की धारणाएं और उस जोखिम को सहन करने के लिए बाजार सहभागियों द्वारा आवश्यक जोखिम प्रीमियम स्तर 3 इनपुट में शामिल किए जाते हैं। कंपनी परिस्थितियों में उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर स्तर 3 इनपुट विकसित करती है।

ग. वहनीय मूल्य पर वित्तीय विलेखों का मूल्य वहन

अन्य चालू बैंक शेष, अन्य प्राप्य और व्यापार और अन्य देय सहित अन्य वित्तीय देनदारियों सहित नकद समकक्ष की अग्रणी राशि को उनके, वर्तमान और इस तरह के शेष की कम समय अवधि की प्रकृति के कारण इन्हें उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी –24 कोविड –19 महामारी का प्रभाव

नोवल कोरोना वायरस कोविड –19 महामारी भारत सहित दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड –19 के प्रकोप को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, कोविड –19 ने न केवल मानव जीवन, बल्कि व्यापार और वित्तीय बाजारों पर भी अपना प्रभाव डाला है, जिसकी सीमा वर्तमान में अनिश्चित है। विभिन्न सरकारों ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए हैं।

कोविड –19 महामारी के दौरान अनिश्चितता के कारण, हमें यह ज्ञात नहीं है कि यह कंपनी के व्यवसाय और उसके परिणामों को किस हद तक प्रभावित करेगा और यह भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी, जिसका कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव हो सकता है।

टिप्पणी –25 बिक्री के लिए धारित गैर चालू संपत्तियां

भारतीय लेखांकन मानक –105 के अनुसार कोई भी परिसम्पत्ति बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई हैं।

टिप्पणी –26 हालिया लेखा घोषणा

24 मार्च, 2021 को, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने एक अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची एम में संशोधन किया। अनुसूची III के डिवीजन I, II और III को संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होने वाली रिपोर्टिंग अवधि से लागू हैं और इसलिए इन वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय इन विचार नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 083417
यूडीआईएन : 21083417एएएडीएच8998

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{डीआईएन नं०: 03165567}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{डीआईएन नं०: 08535482}

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता संख्याः ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020

(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि में नकदी प्रवाह का विवरण

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
प्रचालन कार्यों से प्राप्त नकदी प्रवाह	
टैक्स से पहले हानि	-58.32
टैक्स समायोजन से पहले हानि	
मूल्यह्रास	0.01
आवधिक जमा पर अर्जित ब्याज	-11.06
कार्यशील पूंजी प्रभारों से पूर्व परिचालन हानि	**–69.37**
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन	
अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	-4.90
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	0.56
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	1.61
परिचालनों से प्राप्त नकदी	**–72.10**
भुगतान किया गया आयकर	-0.83
प्रचालन कार्यों में उपयोग किया गया कुल नकदीकरण (क)	**–72.93**
निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह	
संपत्ति, संयत्र और उपकरण की खरीद	-1.01
विकास के तहत अर्मूत परिसंपत्तियों पर व्यय	-16.93
सावधि जमा में निवेश–90 दिनों से अधिक में परिपक्वता परंतु माह 370 दिनों से अधिक न हो।	-500.00
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	1.37
निवेश कार्यों में उपयोग की गई कुल नकदी (ख)	**–516.57**
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह	
शेयर जारी करने से आय	600.00
वित्तीय कार्यकलापों से कुल नकदी (ग)	**600.00**
नकद एवं नकद समतुल्यों में निवल परिवर्तन (क+ख+ग)	**10.50**
अवधि के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	**–**
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य	**10.50**

- उपरोक्त विवरण भारतीय लेखाकंन मानक–7 नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित 'इनडारेक्ट मैथड' करके तैयार किया गया है।
- नोट 3 में नकदी और नकदी समतुल्य घटकों का खुलासा किया गया है।

वित्तीय विवरणों में हिस्सा बनने वाली अन्य संलग्न नोट देखें

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 083417

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{डीआईएन नंः 03165567}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{डीआईएन नंः 08535482}

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता संख्याः ए22768}

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
पंजीकृत कार्यालयः एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज–III, नई दिल्ली–110020
(सीआईएन नंबरः यू65990डीएल2020जीओआई368828)

28.08.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर कैपीटल

(लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च, 2021 को यथास्थिति
रू. 100/–का अंकित मूल्य वाले शेयर	
अवधि के शुरूआत में शेयर	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर में परिवर्तन	600.00
अवधि के अंत में शेष	**600.00**

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रू. में)

विवरण	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	जोड़
अवधि के आरम्भ में शेष	-	-	-
अवधि के लिए लाभ/(हानि)	-61.10	-	-61.10
अवधि के लिए व्यापक आय	-	-	-
31 मार्च, 2021 को यथास्थिति	**-61.10**	**-**	**-61.10**

इसी तारीख को हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
देविंदर के जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 007799एन

ह./–
डी के जैन
साझेदार
सदस्यता संख्या : 083417

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23.09.2021

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

ह./–
अलका नांगिया अरोड़ा
अध्यक्ष
{डीआईएन नं०: 03165567}

ह./–
गौरांग दीक्षित
निदेशक (वित्त)
{डीआईएन नं०: 08535482}

ह./–
राजेश मदान
विशेष कार्य अधिकारी

ह./–
निष्ठा गोयल
कंपनी सचिव
{सदस्यता संख्याः ए22768}

28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च 2021 तक समाप्त वर्ष के एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड के वित्तीय विवरणों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम के अधीन निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। ऐसा उनकी दिनांक 23.09.2021 की सांवाधिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए बताया गया है कि ऐसा कर दिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन **एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड** के दिनांक 28 अगस्त, 2020 से 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

ह./–

(विधु सूद)

प्रधान निदेशक के लेखापरीक्षा

(उद्योग और कार्पोरेट मामले)

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 13.10.2021

एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड

(एनएसआईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
सीआईएनः यू65990डीएल2020जीओआई368828
एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट
नई दिल्ली–110020
वेबसाइटः www.nsic.co.in

सूचना

यह सूचित किया जाता है कि **एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड** ((एनवीसीएफएल या "कंपनी") की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट नई दिल्ली– 110020 में 26 नवंबर, 2021 को 11.00 बजे आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित व्यवसाय के प्रबंधन पर चर्चा होगी:

सामान्य व्यवसाय

1) निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और साथ ही भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ–साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त करना, उन पर विचार करना, अनुमोदन करना और उसे अपनाना।

2) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी के सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी के निदेशक मंडल को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक तय और निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया है।"

विशेष व्यवसाय

एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करना और उचित पाए जाने पर, इन्हें पारित करना:

3) कंपनी के निदेशक के रूप में अपर निदेशक, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन– 03165567) का नियमितीकरण

"**संकल्प लिया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के प्रावधानों और अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा (डीआईएन– 03,165,567) जिन्हें 23 सितंबर, 2021 को अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, को अब एतद्‌द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/–
(निष्ठा गोयल)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 नवंबर, 2021

टिप्पणियाँ:

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण जिसमें संलग्न नोटिस की मद संख्या 3 के तहत व्यवसाय से संबंधित भौतिक तथ्यों को निर्धारित किया गया है, इसके साथ संलग्न है।

1. वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य, स्वयं के स्थान पर, यदि कोई हो, मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है।

2. इस बैठक के व्यवसाय के किसी भी मद (वस्तुओं) के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की तारीख से पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी सचिव को अपने प्रश्न भेजें, ताकि बैठक के समय आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार बनाए गए सांविधिक रजिस्टर, कंपनी की वार्षिक आम बैठक के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक स्थल पर उपलब्ध होंगे।

4. इसके साथ खाली प्रॉक्सी फॉर्म भेजा जाता है।

5. प्रॉक्सी नियुक्त करने वाले लिखत दस्तावेज, विधिवत भरकर, मुहर लगाकर पूरा करके और हस्ताक्षर कर, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण को आम बैठकों के सचिवीय मानक (एसएस–2) के साथ पढ़ा जाए

मद संख्या 3

यह सूचित किया जाता है कि एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड (अर्थात एनवीसीएफएल की पहली योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अध्यक्ष के रूप में सीएमडी एनएसआईसी के साथ कंपनी का एक स्वतंत्र बोर्ड होगा। तदनुसार, सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनवीसीएफएल की होल्डिंग कंपनी) को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1)के प्रावधानों और इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक आपकी कंपनी के निदेशक मंडल पर लागू अन्य प्रावधानों के अनुसार 23 सितंबर, 2021 को एनवीसीएफएल के अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। तदनुसार, इस एजीएम में शेयरधारकों द्वारा सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा को निदेशक के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है।

एनएसआईसी लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) के नामिती के रूप में उनके पास 100/–रुपये का 1 इक्विटी शेयर है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश की है।

सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति की सीमा तक इस संकल्प में रुचि रखती हैं।

सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा को छोड़कर कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और/या उनके रिश्तेदार, इस नोटिस की मद संख्या 3 पर निर्धारित उक्त संकल्प को पारित करने में किसी भी तरह से, वित्तीय या अन्य किसी प्रकार से हितबद्ध या संबद्ध नहीं हैं।

सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उक्त मद से संबंधित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक की तारीख तक सभी कार्य दिवसों/समय पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपसे अनुरोध है कि आप इस नोटिस की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प के लिए अपनी सहमति प्रदान करें।

टिप्पणी

टिप्पणी